रजिस्टर्ड सं० डी० (डी)-73

REGISTERED NO. D (D)-73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1975/ भाद्र 8, 1897

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1975/BHADRA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

## PART II—Section 3—Sub-section (ii)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं**

**Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

### भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1975

**का० आ० 2787.**—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 26-हसनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महबूब अली, मोहल्ला कोट, हसनपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत. उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महबूब अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि० स०/26/74(34)]

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1975

**S.O. 2787.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mehboob Ali, Mohalla Kot, Hasanpur, District Moradabad Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 26-Hasanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mehboob Ali to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/26/74(34)]

आदेश

**का० आ० 2788.**—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 26-हसनपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेश चन्द्र गर्ग, ग्राम व डाकखाना गजरौला, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेश चन्द्र गर्ग को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है;

[सं० उ०प्र०-वि०स०/26/74(35)]

ORDER

**S.O. 2788.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahesh Chandra Garg, Village and P.O. Gajraula, District Moradabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 26-Hasanpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahesh Chandra Garg to disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/26/74(35)]

आदेश

**का० आ० 2789.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-रामपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बच्छन खां, बगीचा छोटे मियां, रामपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बच्छन खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/37/74(40)]

ORDER

**S.O. 2789.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bachchan Khan, Baghicha Chotey Mian, Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 37-Rampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bachchan Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/37/74(40)]

आदेश

**का० आ० 2790.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-रामपुर निर्वाचन-क्षेत्र से, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्र प्रसाद, कूचा परमेश्वरी दास, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेन्द्र प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/27/74/(41)]

ORDER

**S.O. 2790.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendra Prasad, Kucha Parmeshwari Dass, Rampur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 37-Rampur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/37/74(41)]

आदेश

**का० आ० 2791.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-स्वार टांडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री करम सिंह, ग्राम करनपुर, डाकखाना मुरसैना, तहसील सदर जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री करन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/36/74/(42)]

ORDER

**S.O. 2791.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Karan Singh, Village Karanpur, P.O. Mursaina, Tahsil Sadar, District Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 36-Suar Tanda assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, after considering the representation of the said candidate the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Karan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/36/74(42)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त 1975

**का० आ० 2792.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 38-बिलासपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दीवान सिंह रावत, मोहनपुर, डाकखाना परम, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दीवान सिंह रावत को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/38/74(50)]

ORDER

New Delhi, the 6th August, 1975

**S.O. 2792.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Diwan Singh Rawat, Mohanpur, P.O. Param, Tahsil Bilaspur, District Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 38-Bilaspur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Diwan Singh Rawat to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/38/74(50)]

आदेश

**का० आ० 2793.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 38-बिलासपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पोथी राम, खाता कलां, डाकखाना लोहा, तहसील मिलक, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पोथी राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/38/74(51)]

ORDER

**S.O. 2793.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pothi Ram, Khata Kalan, P.O. Loha, Tahsil Milak, District Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 38-Bilaspur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pothi Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/38/74(51)]

आदेश

**का० आ० 2794.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 38-बिलासपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सोहन लाल, खमरिया, तहसील मिलक, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोहन लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/38/74(52)]

ORDER

**S.O. 2794.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sohan Lal, Khamaria, Tahsil Milak, District Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 38-Bilaspur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sohan Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/38/74(52)]

आदेश

**का० आ० 2795.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 52—बरेली सिटी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बसन्त कुमार, 505 सिकलापुर, जिला बरेली उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बसन्त कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/52/74(53)]

ORDER

**S.O. 2795.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Basant Kumar, 505, Siklapur, Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 52-Bareilly City assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Basant Kumar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/52/74(53)]

आदेश

**का० आ० 2796.**—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 1972 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 203—पुनपुन निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महावीर प्रसाद, ग्राम पथरहट, डा० नदवा, जिला पटना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महावीर प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/203/72(213)]

ORDER

**S.O. 2796.**—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahabir Prasad, Village Patharhat, P.O. Nadwa, District Patna who was a contesting candidate for election to the Bihar Legislative Assembly from 203-Punpun constituency held in March, 1972 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahabir Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/203/72(213)]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

**का० आ० 2797.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान सरकार के परामर्श से, श्री जी० जे०

मिश्रा को उनके इस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से राजस्थान राज्य के लिए मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

आदेश से,

[सं० 154/राज०/75]

ए० एन० सेन, सचिव

New Delhi, the 16th August, 1975

**S.O. 2797.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Rajasthan, hereby nominates Shri G. J. Misra as the Chief Electoral Officer for the State of Rajasthan, with effect from the date he takes charge of the office.

By Order,

[No. 154/RJ/75]

A. N. SEN, Secy.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

**का० आ० 2798.**—भारत अलुमीनियम लिमिटेड, कोरबा के सुरक्षा अधिकारी श्री पी० एन० शुक्ल तारीख 31 जनवरी, 1975 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पदेन कमांडेंट नहीं रह गए।

[संख्या ई० 17017/1/73-प्रशासन-1पर्स1]

पी० के० जी० काइमल, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th August, 1975

**S.O. 2798.**—Shri P. N. Shukla, Security Officer, Bharat Aluminium Limited, Korba, ceased to function as Ex-Officio Commandant, Central Industrial Security Force with effect from the afternoon on 31st January, 1975.

[No. E-17017/1/73-Ad. I/Pers. I]

P. K. G. KAIMAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

**का० आ० 2799.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1009, तारीख 18 मार्च, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए यह निदेश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक भी, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और आगे आदेश होने तक अपने-अपने संघ राज्यों के भीतर, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 7 के अधीन, केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

[सं० यू०-11030/2/75-यू० टी० एल०]

एच० सी० बक्शी, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 1975

**S.O. 2799.**—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs S. O. No. 1009, dated the 18th March, 1968, the President hereby directs that the Administrators of all the Union territories, other than Arunachal Pradesh, shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the Central Government under section 7 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908) within their respective Union territories.

[No. U-11030/2/75-UTL]

H. C. BAKSHI, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

आय-कर

**का० आ० 2800.**—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सर्वश्री यू० एस० साहा, एस० सी० पारिजा, जी० डी० दत्त, जे० बी० विश्वास, ए० के० भट्टाचार्य, पी० के० मण्डल, ए० देब विश्वास, ए० मजूमदार, एस० के० दत्त, विमल चौधरी, एस० के० पोद्दार, एन० सी० नाथ, एस० के० मुखर्जी, बी० बी० पाल, ए० बी० नाग, एम० एल० साहा और एस० विश्वास को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधोवर्णित अधिसूचनाओं का प्रवर्तन, जिनके आधार पर प्रत्येक अधिसूचना के सामने वर्णित राजपत्रित अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के कृत्यों का पालन करते थे, पैरा 1 में वर्णित राजपत्रित अधिकारियों के कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार सम्भालने पर समाप्त हो जाएगा :—

| अधिसूचना सं० और तारीख | राजपत्रित अधिकारियों के नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 73 (फा० सं० 16/14/66-आई टी बी०) तारीख 24-8-1967 | श्री बी एन० चौधरी |
| 74 (फा० सं० 16/14/66-आई टी बी) तारीख 24-8-1967 | श्री आर० के० मल्होत्रा |
| 75 (फ० सं० 16/14/66-आई टी बी) तारीख 24-8-1967 | श्री एस० भटर्जी |
| 77 (फ० सं० 16/14/66-आई०टी० बी०) तारीख 24-8-1967 | श्री पी० सी० दत्त |
| 78 (फ० सं० 16/14/66-आई०टी०बी०) तारीख 24-8-1967 | श्री एस० पी० आचार्य |
| 79 (फ० सं० 16/14/66-आई०टी०बी०) तारीख 24-8-1967 | श्री ए० बी० चक्रवर्ती |
| 199 (फ० सं० 404/74/72- आई०टी० सी० सी० तारीख 10-10-1972 | श्री जे० एम० हलधर |
| 703 (फा० सं० 404/48/75-आई०टी०सी० सी०) तारीख 14-8-1974 | श्री एस० एन० मण्डल |

3. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको पैरा 1 में वर्णित अधिकारी कर-वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार सम्भालते हैं।

[सं० 952 (फ० सं० 404/77/75-आई० टी० सी० सी०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 4th July, 1975

INCOME TAX

**S.O. 2800.**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri U.S. Saha, S.C. Paria, G.D. Dutta, J.B. Biswas, A.K. Bhattacharyya, P.K. Mondal, A. Deb Biswas, A. Majumder, S.K. Dutta, Biman Chaudhury, S.K. Poddar, N.C. Nath, S.K. Mukherjee, B.B. Pal, A.B. Nag, M.L. Saha and S. Biswas, who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Rcovery Officers under the said act.

2. The under mentioned Notifications by virtue of which the Gazetted Officers mentioned against each Notification performed the functions of Tax Recovery Officers shall cease to be operative as and when the Gazetted Officers mentioned in para 1 take over as Tax Rocovery Officers:—

| Notification Number and Date | Name of Gazetted Officers. |
|---|---|
| 73 (F. No. 16/14/66-IT.B.) dated 24-8-1967. | Shri B.N. Chaudhury. |
| 74 (F. No. 16/14/66-IT.B) dated 24-8-1967 | Shri R.K. Malhotra. |
| 75 (F. No. 16/14/66-IT. B) dated 24-8-1967 | Shri S. Chatterjee. |
| 77 (F. No. 16/14/66-IT.B) dated 24-8-1967 | Shri P.C. Dutta |
| 78 (F. No. 16/14/66-IT.B) dated 24-8-1967 | Shri S.P. Acharjee. |
| 79 (F. No. 16/14/66-IT. B) dated 24-8-1967 | Shri A.B. Chakraborty. |
| 199 (F. No. 404/74/72-ITCC) dated 10-10-1972 | Shri J.N. Halder. |
| 703 (F. No. 404/48/74-ITCC) dated 14-8-1974 | Shri S.N. Mandal. |

3. This Notification shall come into force with effect from the date, the Officers mentioned in paragraph 1 take over as Tax Rocovery Officers.

[No. 952 (F. No. 404/77/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

**का० आ० 2801.**—आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी० एम० शैलत, को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना संख्या 190 (फा० संख्या 404/274/72-आई० टी० सी०सी०) तारीख 18 सितम्बर, 1972 के अधीन की गई श्री एन० एम० देवेश्वर की नियुक्ति उस तारीख से रद्द की जाती है जिस तारीख से श्री वी० एम० शैलत, करवसूली अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण करते हैं।

3. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख से श्री वी० एम० शैलत, कर-वसूली-अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण करते हैं।

[संख्या 962 (फा०संख्या 404/63/75-आई०टी०सी०सी०)]

टी०आर० आग्रवाल, उप-सचिव

New Delhi, the 14th July, 1975

**S.O. 2801.**—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri V. M. Shelat who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri N. N. Deveshwar made under Notification No. 190 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated the 18th September, 1972 is hereby cancelled with effect from the date of Shri V. M. Shelat takes over charge as a Tax Recovery Officer.

3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri V. M. Shelat takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 962 (F. No. 404/63/75-ITCC)]

T. R. AGGARWAL, Deputy Secy.

---

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1975

**का० आ० 2802.**—सर्व साधारण की जानकारी के लिए अधिसूचना किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था का अनुमोदन विहित प्राधिकारी, अर्थात्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ किया है। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च, 1977 तक प्रभावी रहेगी।

संस्था

एस०ए०एस०सी०एम०ए० मैन-मेड टेक्सटाइल्स टैस्टिंग एण्ड रिसर्च एसोसिएशन, सूरत।

[सं० 957 (फा सं० 203/42/74/आ०क० अ० II)]

New Delhi, the 8th July, 1975

**S.O. 2802.**—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961. This notification is effective from 1st April, 1974 to 31st March, 1977.

INSTITUTION

The SASCMA Man-Made Textiles Testing & Research Association, Surat.

[No. 957 (F. No. 203/42/74-ITA. II)]

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1975

**का० आ० 2803.**—अधिसूचना संख्या 286 (फा० संख्या 203/29/71-आई टी ए II) तारीख 2 फरवरी, 1973 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (I) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

महाराष्ट्र इकानामिक डेवेलपमेन्ट कौंसिल, मुम्बई

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1975 से प्रभावी होगी ।

[सं० 974(फा० सं० 203/92/75 आई टी एम]

New Delhi, the 19th July, 1975

**S.O. 2803.**—In continuation of notification No. 286 (F. No. 203/29/71-ITA. II) dated the 2nd February, 1973, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, with effect from 1st April, 1975.

INSTITUTION

MAHARASHTRA ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL, BOMBAY

The notification takes effect from 1st April, 1975.

[No. 974 (F. No. 203/92/75-ITA. II]

**का.आ. 2804.**—अधिसूचना सं० 114 (फा० संख्या 203/22/72-आई टी ए II), तारीख 17 जून, 1972 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप धारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ 1 अप्रैल, 1975 से एक वर्ष की और अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है ।

संस्थान

धीर कृषि मंगल सोसाइटी, बड़ौदा ।

[सं० 975 (फा० सं० 203/14/75-आईटी ए II)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप सचिव

**S.O. 2804.**—In continuation of notification No. 114 (F. No. 203/22/72-ITA. II) dated 17th June, 1972, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, for a further period of one year with effect from 1st April, 1975.

INSTITUTION

DHIR KRISHI MANGAL SOCIETY, BARODA

[No. 975 (F. No. 203/14/75-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1975

**का० आ० 2805.**—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ज की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उत्तारपथी स्वर स्वामी मन्दिर तिरुचेंगथान्गुदी नान्निलम तालुका, जिला तंजौर को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कलात्मक ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व का तथा तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 960 (फा० सं० 176/61/75-2(ए० आई०)]

वी०बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

New Delhi, the 11th July, 1975

**S.O. 2805.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies Shri Utharapathoesweraswamy Temple, Tiruchongathangudi, Nannilam Taluk Tanjore, District to be of artistic, historic and archoeological importance and a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the said Section.

[No. 960 (F. No. 176/61/75-II(AI)]

V. B. SRINIVASAN, Under Secy.

**बैंकिंग विभाग**

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

**का० आ० 2806.**—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 20 (1) (ख) (iii) के उपबन्ध 10 दिसम्बर, 1975 तक महाराष्ट्र बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उक्त उपबन्ध मेसर्स वैस्ट इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को कोई ऋण दिया जाना इसलिए प्रतिषिद्ध करते हैं कि बैंक के निदेशक डा० के० एस० यावलकर उस कम्पनी के भी निदेशक हैं ।

[सं० 15(34) बी० ओ० III/75]

हृषीकेश गुहा, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 8th August, 1975

**S.O. 2806.**—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 20(1)(b)(iii) of the said Act shall not apply to Bank of Maharashtra till the 10th December, 1975 in so far as the said provisions prohibit any loan or advance being made to M/s. West India Chemicals Ltd., of which Dr. K. S. Yawalkar, who is a director of the said bank, is also a director.

[No. 15(34)-B.O. III/75]

H. K. GUHA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 11 अगस्त 1975

का० आ० 2807.-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अगस्त 1975 के दिनांक 1 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा इस विभाग

| देयताएं | रुपये | रुपये | आस्तियां | रुपये | रुपये |
|---|---|---|---|---|---|
| बैंकिंग विभाग में | | | सोने का सिक्का और बुलियन : | | |
| रखे हुए नोट | 12,33,58,000 | | (क) भारत में रखा हुआ | 182,52,58,000 | |
| संचलन में नोट | 62,62,63,48,000 | | (ख) भारत के बाहर रखा हुआ | .. | |
| | | | विदेशी प्रतिभूतियां | 121,73,97,000 | |
| जारी किये गये | | | | | |
| कुल नोट | | 62,74,97,06,000 | जोड़ | | 304,26,55,000 |
| | | | रुपये का सिक्का | | 10,32,22,000 |
| | | | भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां | | 59,60,38,29,000 |
| | | | देशी विनिमय बिल और दूसरे आधिपत्य-पत्र | | .. |
| कुल देयताएं | | 62,74,97,06,000 | कुल आस्तियां | | 62,74,97,06,000 |

दिनांक : 6 अगस्त, 1975

एन० सी० गुप्ता, गवर्नर

1 अगस्त 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

| देयताएँ | रुपये | आस्तियाँ | रुपये |
|---|---|---|---|
| चुकता पूंजी | 5,00,00,000 | नोट | 12,33,58,000 |
| आरक्षित निधि | 150,00,00,000 | रुपये का सिक्का | 6,56,000 |
| राष्ट्रीय कृषि ऋण | | छोटा सिक्का | 4,44,000 |
| (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि | 334,00,00,000 | खरीदे और भुनाये गये बिल | |
| राष्ट्रीय कृषि ऋण | | (क) देशी | 59,74,10,000 |
| (स्थिरीकरण) निधि | 140,00,00,000 | (ख) विदेशी | .. |
| राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण | | (ग) सरकारी खजाना बिल | 650,58,22,000 |
| (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि | 390,00,00,000 | विदेशों में रखा हुआ बकाया* | 414,85,88,000 |
| जमाराशियाँ :— | | निवेश** | 1114,94,64,000 |
| (क) सरकारी | | ऋण और अग्रिम :— | |
| (i) केन्द्रीय सरकार | 84,90,18,000 | (i) केन्द्रीय सरकार को | .. |
| (ii) राज्य सरकारें | 14,95,02,000 | (ii) राज्य सरकारों को† | 51,38,00,000 |
| (ख) बैंक | | ऋण और अग्रिम :— | |
| (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक | 576,63,79,000 | (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡ | 55,17,50,000 |
| (ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 16,92,41,000 | (ii) राज्य सहकारी बैंकों को @ | 276,50,21,000 |
| (iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक | 1,58,75,000 | (iii) दूसरों को | 9,97,51,000 |
| (iv) अन्य बैंक | 88,19,000 | राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश | |
| | | (क) ऋण और अग्रिम :— | |
| | | (i) राज्य सरकारों को | 69,64,11,000 |
| | | (ii) राज्य सहकारी बैंकों को | 12,65,54,000 |
| | | (iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को | .. |
| | | (iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को | 87,20,00,000 |
| (ग) अन्य | 1047,80,19,000 | (ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश | 10,65,46,000 |
| | | राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम | |
| देय बिल | 143,25,14,000 | राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम | 92,83,39,000 |
| | | राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से | |
| अन्य देयताएँ | 680,79,86,000 | ऋण, अग्रिम और निवेश | |
| | | (क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम | 311,17,81,000 |
| | | (ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश | |
| | | अन्य आस्तियाँ | 356,96,58,000 |
| रुपये | 3586,73,53,000 | रुपये | 3586,73,53,000 |

* नकदी आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन) प्रवर्तन निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं

† राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

‡ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 24,57,00,000-रुपये शामिल हैं।

@ राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

दिनांक : 6 अगस्त, 1975

एन० सी० सेन गुप्ता, गवर्नर

[सं० फा० 10(1)/75-बी० ओ० I]

(च० व० मीरचन्दानी) अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi the 11th August, 1975

S.O. 2807.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA Act, 1934, for the week ended the 1st day of August 1975.

ISSUE DEPARTMENT

| Liabilities | Rs. | Rs. | Assets | Rs. | Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Notes held in the Banking Department | 12,33,58,000 | | Gold Coin and Bullion:— (a) Held in India | 182,52,58,000 | |
| Notes in circulation | 6262,63,48,000 | | (b) Held outside India | .. | |
| | | | Foreign Securities | 121,73,97,000 | |
| Total notes issued | | 6274,97,06,000 | | | |
| | | | Total | | 304,26,55,000 |
| | | | Rupee Coin | | 10,32,22,000 |
| | | | Government of India Rupee Securities | | 5960,38,29,000 |
| | | | Internal Bills of Exchange and other Commercial paper | | .. |
| Total Liabilities | | 6274,97,06,000 | Total Assets | | 6274,97,06,000 |

(C.W. MIRCHANDANI)

Dated the 6th day of August 1975.

N. C. SEN GUPTA Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 1st August 1975

| Liabilities | Rs. | Assets | Rs. |
|---|---|---|---|
| Capital Paid up | 5,00,00,000 | Notes | 12,33,58,000 |
| Reserve Fund | 150,00,00,000 | Rupee Coin | 6,56,000 |
| National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund | 334,00,00,000 | Small Coin | 4,44,000 |
| National Agricultural Credit (Stabilisation ) Fund | 140,00,00,000 | Bills Purchased and Discounted:— | |
| National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund | 390,00,00,000 | (a) Internal | 59,74,10,000 |
| Deposits:— | | (b) External | .. |
| (a) Government | | (c) Government Treasury Bills | 650,58,22,000 |
| (i) Central Government | 84,90,18,000 | Balances Held Abroad* | 414,85,88,000 |
| (ii) State Government | 14,95,02,000 | Investments** | 1114,94,64,000 |
| (b) Banks | | Loans and Advances to :— | |
| (i) Schedule Commercial Banks | 576,63,79,000 | (i) Central Government | |
| (ii) Scheduled State Co-operative Banks | 16,92,41,000 | (ii) State Government@ | 51,38,00,000 |
| (iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks | 1,58,75,000 | Loans and Advances to:— | |
| (iv) Other Banks | 88,19,000 | (i) Scheduled Commercial Banks† | 55,17,50,000 |
| (c) Others | 1047,80,19,000 | (ii) State Co-operative Banks† | 276,50,21,000 |
| Bills Payable | 143,25,14,000 | (iii) Others | 9,97,51,000 |
| Other Liabilities | 680,79,86,000 | Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund | |
| | | (a) Loans, and advances to:— | |
| | | (i) State Governments | 69,64,11,000 |
| | | (ii) State Co-operative Banks | 12,65,54,000 |
| | | (iii) Central Land Mortgage Banks | .. |
| | | (iv) Agricultural Refinance Corporation | 87,20,00,000 |
| | | (b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures | |
| | | Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund | 10,65,46,000 |
| | | Loans and Advances to State Co-operative Banks | 92,83,39,000 |
| | | Loans Advances and Investment from National Industrial Credit (Long Term operations) Fund | |
| | | (a) Loans and Advances to the Development Bank | 311,17,81,000 |
| | | (b) Investment in bonds/ debentures issued by the Development Bank | .. |
| | | Other Assets | 356,96,58,000 |
| Rupees | 3586,73,53,000 | Rupees | 3586,73,53,000 |

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including termporary overdrafts to State Governments.

† Includes Rs. 24,57,00,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

‡ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 6th day of August, 1975.

N. C. SEN GUPTA, Governor
C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1975

**का० आ० 2808.**—आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 के अनुसार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि निम्नलिखित कर वसूली अधिकारी, पश्चिमी बंगाल राज्य के सभी क्षेत्रों की बाबत, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे :—

1. श्री यू० एस० साहा
2. श्री एस० सी० पारिया
3. श्री जी० डी० दत्त
4. श्री जे० बी० विश्वास
5. श्री ए० के० भट्टाचार्य
6. श्री पी० के० मण्डल
7. श्री ए० देब० विश्वास
8. श्री ए० मजूमदार
9. श्री एस० के० दत्ता
10. श्री बिमन चौधरी
11. श्री एस० के० पौहार
12. श्री एन० सी० नाथ
13. श्री एस० के० मुखर्जी
14. श्री बी० बी० पाल
15. श्री ए० बी० नाग
16. श्री एम० एल० साहा
17. श्री एस० विश्वास

2. यह आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को पैरा 1 में वर्णित राजपत्रित अधिकारी कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार सम्भालते हैं।

[सं० 953 (फा० सं० 404/77/75-आई टी सी सी)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, the 4th July, 1975

**S. O. 2808.**—In terms of Rule 6 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the following Tax Rocovery Officers shall exercise the powers of Tax Rocovery Officers under sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax act, 1961, in respect of all the areas in the State of West Bengal:—

1. Shri U.S. Saha.
2. Shri S.C. Paria.
3. Shri G.D. Dutta.
4. Shri J.B. Biswas.
5. Shri A.K. Bhattacharyya.
6. Shri P.K. Mondal.
7. Shri A. Deb Biswas.
8. Shri A. Majumder.
9. Shri S. K. Dutta.
10. Shri Biman Chaudhury.
11. Shri S.K. Poddar.
12. Shri N. C. Nath.
13. Shri S.K. Mukherjee.
14. Shri B. B. Pal.
15. Shri A.B. Nag.
16. Shri M.L. Saha.
17. Shri S. Biswas.

2. This Order shall come into force with effect from the date the Gazetted Officers in paragraph 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 953 (F. No. 404/77/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

आदेश

**का० आ० 2809.**—आयकर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के अनुसरण में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश देता है कि श्री वी० एम शैलत, जिसे केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अधीन कर-वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया है, साथ-साथ गुजरात राज्य और दीव, दमण और दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

2. आदेश संख्या 191 (फा संख्या 404/274/72-आई टी सी सी) तारीख 18 सितम्बर, 1972 के अधीन श्री एन० एन० देवेश्वर को प्रदत्त अधिकारिता, उस तारीख से वापिस ली जाती है। जिससे श्री वी० एम० शैलत कर-वसूली-अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण करते हैं।

3. यह आदेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिससे श्री वी० एम० शैलत, कर-वसूली अधिकारी के रूप में कार्य-भार ग्रहण करते हैं।

[संख्या 963 (फा० संख्या 404/63/75-आई टी सी सी)]

टी० आर० अग्रवाल, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th July, 1975

**S.O. 2809.**—In pursuance of Rule 6 of the Income-tax (Certifiate Proceeding) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Shri V. M. Shelat authorised by the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under sub-claose (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), shall concurrently exercise jurisdiction in respect of the State of Gujarat and Union Territories of Diu, Daman, and Dadra and Nagar Haveli.

2. The jurisdiction conferred upon Shri N. N. Deveshwar under Order No. 191 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated the 18th September, 1972 is hereby withdrawn with effect from the date Shri V. M. Shelat takes over as Tax Recovery Officer.

3. This Order shall come into force with effect from the date Shri V. M. Shelat takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 963 (F. No. 404/63/75-ITCC)]
T. R. AGGARWAL, Secy.

---

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

(इलायची नियंत्रण)

**का० आ० 2810.**— यतः इलायची बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है :

अतः अब इलायची (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1968 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक नीलामकर्ता को उक्त नियमों के संलग्न प्ररूप 'ख' में उपवर्णित शर्तों के पैरा 4 के उप-पैरा (क) के उन उपबंधों से जो अरजिस्ट्रीकृत सम्पदा की दशा में ऐसे नीलामकर्ता द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में प्लांटर की रजिस्टर संख्या दर्शित करने से सम्बन्धित है, 1 सितम्बर, 1975 से एक वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन छूट देती है कि नीलामकर्ता का समाधान हो गया है कि प्लांटर ने अपनी संपदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय पर आवेदन किया है ।

[सं० 32(20)/74-प्लांट(बी)]

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 11th August, 1975

### Cardamom Control

**S.O. 2810.**—Whereas, on the recommendation of the Chairman of the Cardamom Board, the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 11 of the Cardamom (Licensing and Registration) Rules, 1968, the Central Government hereby exempts for a period of one year with effect from the 1st day of September, 1975, every auctioneer from so much of the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 4 of the conditions set out in Form 'B' appended to the said Rules, as relate to showing the register number of the estate of the planter in the register required to be maintained by such auctioneer, if such estate has not been registered, subject to the condition that the auctioneer is satisfied that such planter has applied for registration of his estate in time.

[File No. 32(20)Plant(B)/74]

का० आ० 2811.—यतः इलायची बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, इलायची (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1968 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार प्रत्येक दलाल को उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ख' में उपवर्णित शर्तों के पैरा के उन उपबन्धों से, जो ऐसे प्लांटर से, जिसकी सम्पदा रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, इलायची उपाप्त करने से सम्बन्धित है, 1 सितम्बर, 1975 से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन छूट देती है कि प्लांटर ने अपनी सम्पदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय पर आवेदन किया है ।

[सं० 32(20)/74-प्लांट (बी)]

**S.O. 2811.**—Whereas, on the recommendation of the Chairman of the Cardamom Board, the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 11 of Cardamom (Licensing and Registration) Rules, 1968, the Central Government hereby exempts, for a period of one year, with effect from the 1st day of September, 1975, every broker from so much of the provisions of paragraph 5 of the conditions set out in Form 'B' appended to the said rules as relate to prohibiting the procurement of cardamom from a planter whose estate has not been registered, subject to the condition that such planter has applied for registration of his estate in time.

[File No. 32(20) Plant(B)/74]

का० आ० 2812.—यतः इलायची बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः, अब, इलायची (अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1968 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक व्यवहारी को उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ग' में उपवर्णित शर्तों के पैरा 1 के उन उपबन्धों से, ऐसी सम्पदा से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं हुई है, इलायची के क्रय के प्रतिषेध करने से तथा उक्त सम्पदा से उसके द्वारा क्रय की गई इलायची के परिणाम की मात्रा ऐसे व्यवहारी द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में सम्पदा की रजिस्टर संख्या दर्शित करने से सम्बन्धित है, 1 सितम्बर 1975 से एक वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा इस शर्त के अधीन छूट देती है, कि ऐसी सम्पदा के प्लांटर ने अपनी संपदा के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय पर आवेदन किया है ।

[सं० 32/20/प्लांट (बी)/74]

एस० महादेव अय्यर, अवर सचिव

**S.O. 2812.**—Whereas, on the recommendation of the Chairman of the Cardamom Board, the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 11 of the Cardamom (Licensing and Registration) Rules, 1968, the Central Government hereby exempts for a period of one year with effect from the 1st day of September, 1975, a dealer from so much of the provisions of paragraph 1 of the conditions set out in Form 'C' appended to the said Rules, as relate to prohibiting the purchase of cardamom from an estate which has not been registered and to showing the register number of the estate in the register required to be maintained by such dealer in respect of the quantity of cardamom purchased by him from the said estate, subject to the condition that the planter of such estate has applied for registration of his estate in time.

[File No. 32(20)Plant(B)/74]

S. MAHADEVA IYER, Under Secy.

---

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

### आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का०आ० 2813.—सर्वश्री गुडइयर इन्डिया लि०, कलकत्ता को आटोमोबाइल टायर तथा ट्यूबों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए 33,27,300 रुपए (तैंतीस लाख, सत्ताइस हजार, तीन सौ रुपए मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं० पी/सी जी/2066071/एस/आई बी/48/एच/37-38 दिनांक 3-8-73 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि आयात लाईसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बम्बई के उन के बैंकर से जाते समय रास्ते में खो गई है । आगे यह बताया है कि आयात लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया था ।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने शपथ आयुक्त दिल्ली के सम्मुख विधिवत् शपथ लेते हुए स्टाम्प कागज पर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । मैं तदनुसार संतुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है । इसलिए, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9 (सी सी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री गुडइयर इन्डिया लि०, कलकत्ता को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी०/सी० जी०/ 2066071 दिनांक 3-8-73

की उक्त मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को इस के द्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को उपर्युक्त आयात लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिम नियंत्रण प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या 30 (31)/72-73/सी०जी०-1]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1975

**S.O. 2813.**—**M/s. Goodyear India Limited, Calcutta** were granted Import licence No. P/CG/2066071/S/IB/48/H/37-38 dated 3-8-73 for Rs. 33,27,300 (Rupees thirtythree lakhs twentyseven thousand and three hundred only) for import of capital goods for the manufacture of Automobile Tyres and Tubes. They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control copy of the said licence on the ground that the original Exchange Control copy of the Import licence has been lost enroute to Delhi from their Bankers in Bombay. It has further been stated that original exchange control copy of Import licence has not been utilized at all.

2. In support of their contention the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn before an Oath Commissioner, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control copy of the above said import licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(c.c.) of the Imports (Controls) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control copy of the Import licence No. P/CG/2066071 dated 3-8-73 issued to M/s. Goodyear India Ltd., Calcutta is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control copy of the said Import licence is being issued to the party separately.

[No. 30(31)/72-73/CG. I]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

**का० आ० 2814.**—सर्वश्री मेज प्रोडक्ट्स/मालिक सायाजी मिल्स लि० डाकघर कथवाडा मेज प्रोडक्ट्स अहमदाबाद 382430 द्वारा यह सूचना दी गई है कि 1,18,569 रुपये (एक लाख, अठारह हजार, पांच सौ उन्हत्तर रुपये मात्र) मूल्य के लिए उन को प्रदान किए गए आयात लाइसेंस सं० पी/डी/1402944/टी/ओ आर/52/एच/37-38 दिनांक 10-9-1974 की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों बिल्कुल भी उपयोग किए बिना और किसी भी पत्तन पर पंजीकृत कराए बिना अस्थानस्थ हो गई/खो गई है ।

इस तर्क के समर्थन में सर्वश्री मेज प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि लाइसेन्स की सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि इन दोनों की अनुलिपि प्रतियां उन को जारी की जानी चाहिए । मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है ।

लाइसेन्स की अनुलिपि (सीमाशुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) अलग से जारी की जा रही है ।

[संख्या : बीएंड एफ/24(1) 73-74/आर० एम०-5/756]

ए० एन० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1975

**S.O. 2814.**—It has been reported by **M/s. Maize Products**/Pro., Sayaji Mills Ltd., P.O. Kathwada-Maize Products, Ahmedabad 392430 that both the Customs Copy and the Exchange Control Copy of Import licence No. P/D/1402944/T/OR/52/H/37-38 dated 10-9-1974 granted to them for a value of Rs. 1,18,569 (Rupees One Lakh Eighteen Thousand Five Hundred and Sixty Nine only) have been misplaced/lost without having been utilised at all and registered at any port.

2. In support of this contention, M/s. Maize Products, Ahmedabad have given an affidavit. The undersigned is satisfied that the Customs and Exchange Control Purposes copies of the licence have been lost/misplaced and directs that a duplicate licence for both Customs and Exchange Control Copy should be issued to them. The original licence (Customs & Exchange Control Copies) is hereby cancelled.

A duplicate licence (Customs and Exchange Control Purpose Copies) of the licence is being issued separately.

[F. No. B&F/24(1)73-74/RM.V/756]

A. N. CHATTERJEE, Dy. Chief Controller

संयुक्त-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1975

**का० आ० 2815.**—सर्वश्री पी० शरण एण्ड कम्पनी, कश्मीरी गेट दिल्ली-6 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से मोटर व्हीकल पुर्जों के आयात के लिए 9696 रुपये मूल्य का एक संस्थापित आयातक लाइसेंस संख्या पी/ई/0225363, दिनांक 4-12-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है फर्म द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई गई थी और उसका उपयोग नहीं किया गया है ।

इस घोषणा के समर्थन में आवेदक ने यह उल्लेख करते हुए विधिवत् साक्ष्यांकित एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है ।

मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए । लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द की जाती है ।

[संख्या एम वी पी/161/ए ए म-74/क्यू एल/सी एल]

के० रमण, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1975

**S.O. 2815.**—M/s. P. Sharan & Co., Kashmere Gate, Delhi-6 were granted an Established Importers licence No. P/E/0225363, dated 4-12-73 for Rs. 9,696 for import of Motor Vehicle Parts from General Area. They have applied for the duplicate Customs Purpose Copy of the licence on the ground that the original has been lost or misplaced. It is, further stated by the firm that the original Custom Purpose copy of

the licence was not registered with Customs House and has not been utilised.

In support of this declaration, the applicant has filed an affidavit duly attested stating that the original Customs Purpose Copy of the licence has been lost or misplaced.

I am satisfied that the original Custom Purpose copy of the said licence has been lost and direct that duplicate Custom purpose copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Custom Purpose copy of the licence is cancelled.

[F. No. MVP/161/AM-74/QL/CLA]
K. RAMAN, Dy. Chief Controller of Import & Export

## पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
## (पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

**का० आ० 2816.**—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 546 तारीख 4-2-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संपकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

### अनुसूची

प्रस्तावित बोनईगांव शोधनशाला व पैट्रो-रसायन समूह के लिए बोनगाईगांव में आयल इण्डिया पम्प स्टेशन संख्या 6 से पाइपलाइन हेतु ।

राज्य असम, जिला गोलपरा (तालुका) सर्किल बीजनी

| गांव | सर्वेक्षण सं० | हैक्टर बीघा | ए०आर पी० ए ई०कथा आर०ई लेसास |
|---|---|---|---|
| चपागुरी सं० 1 | 9 | 3 | 4 |

### भूमी की सीमाएं

ब्लाक सं० 1

उत्तरः—दाग संख्या 156 बी, दक्षिणः— दाग सं० 164 बी, पश्चिम दाग सं० 174 ए, 167ए, 166ए, और 165ए, पूर्वः— दाग संख्या 174सी, 168ए, और 163सी ।

ब्लाक संख्या 2

उत्तरः— दाग संख्या 164 बी, दक्षिणः— दाग सं० 191बी, पश्चिमः— दाग सं० 170ए, 180ए, 179ए, 178ए, 189ए, और 190ए, पूर्व दाग सं० 170सी, 180सी, 179सी, 178सी और 190सी ।

ब्लाक सं० 3

उत्तर दागः सं० 191बी, और 215सी, दक्षिणः— दाग सं० 191 बी, पश्चिमः— दाग सं० 215 ए, 214 ए, और 213 ए और 191 बी, पूर्वः— दाग संख्या 215 सी, 214 सी और 213 सी ।

ब्लाक सं० 4

उत्तरः— दाग सं० 244 बी, दक्षिण और पश्चिमः— दाग सं० 211 बी, पूर्वः— दाग सं० 212 ए ।

ब्लाक सं० 5,

उत्तरः— दाग सं० 211बी और 201बी, दक्षिणः— गांव डोलई गांव की गांव सीमा, पश्चिमः— दाग सं० 201 बी, और 210 ए, पूर्वः— दाग सं० 211बी और 210सी ।

[सं० 12017/2/73-एल ए एण्ड एल]
टी० पी० सुब्रह्मण्यन, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
## (Department of Petroleum)

New Delhi, the 12th August, 1975

**S. O. 2816.**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 546 dated 4-2-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And where as the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of publication of this declaration in the Oil India Limited free from all encumbrances.

### SCHEDULE

For Pipeline from Oil India Pump Station No. 6 at Bongaigaon to proposed Bongaigaon Refinery-cum-Petro-Chemical Complex.

State Assam, District Goalpara
(Taluke) Circle Bijni.

| Village | Survey No. | Hectare Bigha. | Are Katha | P. Are Lessas |
|---|---|---|---|---|
| Chapaguri No. 1 | 9 | 3 | 4 | |

BOUNDARIES OF THE LAND

Block No. 1
North:—Dag No. 156 B, South:—Dage No. 164 B,
West:—Dag No. 174 A, 167 A, 166 A, & 165 A.
East:—Dag No. 174 C, 168 A & 165 C.

Block No. 2.
North:—Dag No. 164 B, South:—Dag No. 191 B,
West:—Dag No. 170 A, 180 A, 179 A, 178 A, 189 A & 190 A,
East:—Dag Nos. 170 C, 180 C, 179 C, 178 C & 190 C.

Block No. 3
North:—Dag No. 191 B & 215 C, South:— Dag No. 191 D,
West:—Dag Nos. 215 A, 214 A & 213 A&191 B,
East:—Dag Nos. 215 C, 214 C & 213 C.

Block No. 4
North:—Dag No. 244 B, South & West:—Dag No. 211 B,
East:— Dag No. 212 A.

Block No. 5
North:—Dag Nos. 211 B & 201 B, South:—Village boundary of Dolaigaon, West:—Dag Nos. 201 B & 210 A,
East:—Dag No. 211 B & 210 C.

[No. 12017/2/73—L&L]

T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.,

## ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1975

**का० आ० 2817.**—सरकारी परिसर (अवैध दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का० आ० 2684, दिनांक 20 सितम्बर, 1972 में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में

(क) 'अधिकारी' तथा "एक अधिकारी" शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'अधिकारियों' और "अधिकारियों" शब्द होंगे।

(ख) सारणी के कालम (1) में 'सम्पदा प्रबंधक' शब्द के बाद "उप सम्पदा प्रबंधक" शब्द जोड़े जाएं।

[एफ सं० 49016(6)/75-पीआईआर]

के० सीतारामन, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

New Delhi, the 11th August, 1975

**S.O. 2817.**—In exercise of the powers conferre by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Works and Housing No. S.O. 2684, dated the 25th September, 1972 namely :—

In the said notification—

(a) for the words "the officer" and the words "an officer" the words " the officers" and the word" "officers" shall respectively be substituted;

(b) in the Table, in column (1), after the word "Estate Manager", the words and "Deputy Estate Manager", shall be inserted.

[F. No. 49016(6)/75-PIR]

K. SITARAMAN, Director.

## उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

**का० आ० 2818.**—केन्द्रीय सरकार शाहपुरी फारवर्ड एक्सचेंज लिमिटेड, कोल्हापुर द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में, 10 अगस्त, 1975 से लेकर 9 अगस्त, 1976 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित है) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[फा० सं० 12(11)-आई०टी०/75]

यू० एस० राणा, उप सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 8th August, 1975

**S.O. 2818.**—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Shahupuri Forward Exchange Ltd., Kolhapur and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 10th August, 1975 to the 9th August, 1976 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(11)-IT/75]

U. S. RANA, Dy. Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1975

**का०आ० 2819.**—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 152 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के एस० आर० ओ० सं० 681 दिनांक 23 मार्च, 1955 में दी गयी अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारियों को एतद्द्वारा नियुक्त करती है, नामत:

1. आन्ध्र प्रदेश

| | |
|---|---|
| हैदराबाद . . | दी डाइरेक्टर, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद-9 |
| हैदराबाद . . | दी लाइब्रेरियन, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, हैदराबाद। |
| वाल्टेयर . . | दी रजिस्ट्रार, आंध्र यूनिवर्सिटी, वाल्टेयर, आन्ध्र प्रदेश। |

वारांगल . . दी प्रिंसिपल, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारांगल, पो० आ० का जीपेट, आंध्र प्रदेश।

2. आसाम

जोरहाट . . दी प्रिंसिपल, एच० आर० एच० दी प्रिंस आफ वेल्स टैक्नीकल स्कूल, जोरहाट, आसाम।

शिलांग . . दी० डिप्टी डाइरेक्टर (कमर्शियल इंटेलीजेंस), डाइरेक्टोरेट आफ इण्डस्ट्रीज (आसाम) शिलांग, आसाम

3. बिहार :

धनबाद . दी जनरल मैनेजर, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट डिवीजन, सी० आई० एफ० टी० बिल्डिंग पो० आ० सिन्दरी, डि०-धनबाद, बिहार

धनबाद दी डाइरेक्टर, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट एफ० आर० आई० पोस्ट जिला धनबाद बिहार

जमशेदपुर दी डाइरेक्टर, नेशनल मेटालार्जीकल लेबोरेटरी जमशेदपुर, बिहार

पटना दी डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज, बिहार, पटना, बिहार

रांची . . . दी जोइंट जनरल मैनेजर, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, धुर्वा, रांची, बिहार

4. दिल्ली

दिल्ली . . दी डाइरेक्टर, श्री राम इंस्टीट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च 19-यूनिवर्सिटी रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110008

दिल्ली . . दी रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली, दिल्ली

नई दिल्ली . . दी डाइरेक्टर जनरल, काउंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च, एम-15, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2, नई दिल्ली-110016

नई दिल्ली . . दी डारेक्टर, नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी आफ इंडिया नई दिल्ली-110012.

नई दिल्ली . . दी डाइरेक्टर, इनवेन्शन्स प्रोमोशन बोर्ड 39 रिंग रोड मूलचंद हास्पीटल कार्नर नई दिल्ली-110014

नई दिल्ली . . दी सेक्रेटरी, नेशनल रिसर्च डवलपमेंट, कारपोरेशन आफ इंडिया, 61, रिंग रोड, नई दिल्ली-110024

5. गुजरात

अहमदाबाद . . दी डाइरेक्टर, अहमदाबाद टैक्सटाइल इंण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोशियेशन, पोलीटैक्नीक पो० आ० अहमदाबाद-380015

बड़ौदा . . दी असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज (कैमिकल्स), इण्डस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी बड़ौदा साइंस कालेज कंपाउंड, बड़ौदा-2, गुजरात

भावनगर . . दी डाइरेक्टर, सेंट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमीकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर, गुजरात

6. जम्मू और काश्मीर

श्रीनगर . . डाइरेक्टर, स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट करननगर, श्रीनगर, काश्मीर।

7. कर्नाटक

बंगलौर . . दी डाइरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस बंगलौर, मैसूर

बंगलौर . . दी डाइरेक्टर, नेशनल एरोनाटीकल लेबोरेटरी बंगलौर-560017

मैसूर . . दी डाइरेक्टर, सेंट्रल फूड टैक्नोलोजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर

8. केरल

त्रिवेन्द्रम . . प्रोफेसर आफ एप्लाइड कैमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी आफ केरल त्रिवेन्द्रम, केरल

9. मध्य प्रदेश

जबलपुर . . दी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर, मध्य प्रदेश

10. महाराष्ट्र :

बंबई . . दी असिस्टेंट ला० आफीसर, पेंटट आफिस ब्रांच, तोडी एस्टेट, 3 मंजिल, लावर पारेल (वेस्ट) बंबई-13

बंबई . . दी डाइरेक्टर, डिपार्टमेंट आफ कैमीकल टैक्नोलाजी, मुटुंगा बंबई

बंबई . . दी डाइरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी पोवाई बंबई।

पूना . . दी क्यूरेटर, महात्मा फूले वस्तु संग्रहालय, पूना, घोले रोड : पूना-411004, महाराष्ट्र।

पूना . . दी डाइरेक्टर, नेशनल कमीकल लेबोरेटरी आफ इंडिया, पूना-411008, महाराष्ट्र

11. उड़ीसा

भुवनेश्वर . . दी डाइरेक्टर, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी भुवनेश्वर उड़ीसा

कटक . . दी लाइब्रेरियन, कनिका लाइब्रेरी, रावेनशां कालेज, कटक-2 उड़ीसा

12. पंजाब

फरीदाबाद . . हैड, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सटर, इंडियन आयल कारपोरेशन लि०, 45-46, सैक्टर 16-ए, फरीदाबाद।

पंजाब

लुधियाना . . दी साइंटिस्ट-इन-चार्ज, मार्डो सेंटर, मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (सी० एस० आई० आर०) गुरु नानक कालेज कैम्पस गिल रोड, लुधियाना-3

13. राजस्थान

| | |
|---|---|
| जयपुर . . | दी डायरेक्टर ग्राफ इण्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाईज, जयपुर, राजस्थान |

14. तमिलनाडु

| | |
|---|---|
| ग्रन्नामलाईनगर . | दी लाइब्रेरियन, ग्रन्ना मलाई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ग्रन्ना मलाईनगर, पो० ग्र०-साउथ ग्रारकोट डि०-मद्रास |
| कराईकुडी . . | दी डायरेक्टर, सैंट्रल इलैक्ट्रोकैमीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कराइकुडी, मद्रास |
| मद्रास . . | दी असिस्टेंट कंट्रोलर ग्राफ पेटेंट्स एण्ड डिजाइन, पेटेंट ग्राफिस ब्रांच, 776 त्रिप्लीकेन हाई रोड, मद्रास-5 |
| मद्रास . . | दी क्यूरेटर, रिकार्ड ग्राफिस ईगमोर, मद्रास |
| मद्रास . | दी डायरेक्टर, सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट मद्रास |

15. उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| इलाहाबाद . . | दी डायरेक्टर, गोविन्द बल्लभ पन्त इंस्टीट्यूट ग्राफ सोशल साइंस, यूनिवर्सिटी ग्राफ इलाहाबाद, 2-डी०, बेली रोड, इलाहाबाद यू० पी० |
| इलाहाबाद . . | दी होनोरेरी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशन ग्राफ इंजीनियर्स (इंडिया) सब-सेक्टर तेलीयारगंज, इलाहाबाद |
| देहरादून . . | दी प्रेसीडेंट, फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एण्ड कालेज, देहरादून उ० प्र० |
| देहरादून . . | दी साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ग्राफ पेट्रोलियम, (ग्राई० ग्राई० पी० पी० ग्रो० देहरादून) (यू०पी) |
| हरद्वार . . | दी डिप्टी चीफ इंजीनियर, टैक्नीकल सर्विसेज, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०, हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमेंट प्लांट, हरद्वार, यू० पी० |

उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| कानपुर . . | दी प्रिंसिपल हारकोर्ट बटलर टैक्नोलोजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर यू०पी० |
| लखनऊ . | दी लाइब्रेरियन, ग्रमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ, यू०पी० |
| लखनऊ . . | दी डायरेक्टर, नेशनल बोटोनीकल गार्डन्स लखनऊ, यू० पी० |
| लखनऊ . | दी डायरेक्टर, सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ |
| लखनऊ . . | दी सीनियर लाइब्रेरियन ग्राफ दी डायरेक्टर जनरल रिसर्च, डिजाइन एण्ड स्टैण्डर्डस ग्रार्गेनाइजेशन, रेल मंत्रालय, ग्रालमबाग लखनऊ-5 |
| रुड़की . . | दी डायरेक्टर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की यू० पी० |
| वाराणसी . . | दी डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ग्राफ टैक्नालाजी बनारस, हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-5 |

16. पश्चिम बंगाल

| | |
|---|---|
| कलकत्ता . . | दी कन्ट्रोलर ग्राफ पेटेंट्स एण्ड डिजाइन्स दी पेटेंट ग्राफिस 214, ग्राचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता-700007 |
| कलकत्ता . . | दी सेक्रेटरी, काउंसिलस ग्राफ दी यूनिवर्सिटी कालेजज ग्राफ साइंस एण्ड टैक्नालोजी 92, अपर सर्कुलर रोड, कलकत्ता-700009 |
| दुर्गापुर . . | दी डायरेक्टर, सैन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट महात्मा गांधी एवेन्यू दुर्गापुर-9 पश्चिमी बंगाल |
| हावड़ा . . | दी प्रिंसिपल, बंगाल इंजीनियरिंग कालेज शिबपुर, हावड़ा पश्चिम बंगाल |
| खड़गपुर . . | दी डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ग्राफ टैक्नोलौजी, पो० ग्रा० खड़गपुर टैक्नोलाजी, खड़गपुर, एस०ई० रेलवे । |

17. पश्चिमी जर्मनी

| | |
|---|---|
| म्यूनिख . . | दी प्रिसीडेंट, दी जर्मन पेटेंट ग्राफिस, जवेब्रुघनस्ट्रैसस, 12,8000 म्यूनिख, पश्चिम जर्मनी । |

यू० एस० ए०

| | |
|---|---|
| वाशिंगटन . . | दी कमिश्नर ग्रा पेटेंट्स दी पेटेंट ग्राफिस, वाशिंगटन डी० सी०, यू०एस०ए० |

[सं० 18(22) पी० एण्ड सी/74]
एस० वी० सुब्रमणियन, ग्रवर सचिव

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th July, 1975.

S.O. **2819**.—In exercise of the powers conferred by Section 152 of the Patents, Act, 1970 (30 of 1970) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce & Industry No. SRO. 681 dated the 23rd March, 1955, the Central Government hereby appoints tle following authorities for the purposes of the said section, namely:

1. ANDHRA PRADESH

| | |
|---|---|
| Hyderabad . | The Director, Regional Research Laboratory, Hyderabad-9. |
| -do- | The Librarian, State Central Library, Hyderabad. |
| Waltair . . | The Registrar, Andhra Uniersity, Waltair, Andhra Pradesh. |
| Warangal . . | The Principal, Regional Engineering College, Warangal, P.O. Kazipet, Andhra Pradesh. |

2. ASSAM

| | |
|---|---|
| Jorhat | The Principal, H. R. H. The Prince of wales Technical school Jorhat Assam. |

| | |
|---|---|
| Shillong . . | The Deputy Director (Commercial Intelligence), Directorte of Industries (Assam), Shillong, Assam. |

3. BIHAR:

| | |
|---|---|
| Dhanbad . . | The General Manager, Fertilizer Corporation of India, Ltd., Planning and Development Division, C.I.F.T. Buildings, P.O. Sindri, Dist. Dhanbad, Bihar. |
| -do- | The Director, Central Fuel Research Institute, F.R.I. Post, Dist. Dhanbad. Bihar. |
| Jamshedpur . | The Director, National Metallurgical Laboratory, Jamshedpur, Bihar. |
| Patna . . | The Director of Industries, Bihar. Patna, Bihar. |
| Ranchi | The Joint General Manager, Heavy Machine Building Plant, Heavy Engineering Corporation Ltd., Dhurwa, Ranchi, Bihar. |

4. DELHI:

| | |
|---|---|
| Delhi . . | The Director, Shri Ram Institute for Industrial Research, 19, University Road, Civil Lines, Delhi-110008. |
| -do- | The Registrar, University of Delhi, Delhi. |
| New Delhi . | The Director general Council of Scientific & Industrial Research, M-15, New Delhi South Extension, Part II, New Delhi-110016. |
| -do- | The Director, National Physical Laboratory of India, New Delhi-110012. |
| -do- | The Director, Inventions Promotion Board, 39 Ring Road, Mulchand Hospital Corner, New Delhi-110014. |
| -do- | The Secretary, National Research Development Corporation of India, 61, Ring Road, New Delhi-110024. |

5. GUJARAT:

| | |
|---|---|
| Ahmedabad . | The Director, Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Polytechnic P.O., Ahmedabad-380015. |
| Baroda. . . | The Assistant Director of Industries (Chem.) Industrial Research Laboratory, Baroda Science College Compound, Baroda-2, Gujarat. |
| Bhavnagar. | The Director, Central Salt & Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, Gujarat. |

6. JAMMU & KASHMIR:

| | |
|---|---|
| Srinagar . . | Director, Small Industries Service Institute, Karan Nagar, Srinagar, Kashmir. |

7. KARNATAKA:

| | |
|---|---|
| Bangalore . | The Director, Indian Institute of Science, Bangalore, Mysore. |
| -do- | The Director, National Aeronautical Laboratory, Bangalore-560017. |
| Mysore. . . | The Director, Central Food Technological Research Institute ,Mysore. |

8. KERALA:

| | |
|---|---|
| Trivandrum . | Professor of Applied Chemistry, University of Kerala, Trivandrum Kerala. |

9. MADHYA PRADESH:

| | |
|---|---|
| Jabalpur | The Principal, Government Engineering College, Jabalpur, Madhya Pradesh. |

10. MAHARASHTRA :

| | |
|---|---|
| Bombay . . | The Asstt. Law Officer, Patent Office Branch, Todi Estate, 3rd Floor, Lower Parel (West) Bombay-13. |
| -do- | The Director, Department of Chemical Technology, Matunga, Bombay. |
| -do- . | The Director, Indian Institute of Technology, Powai, Bombay. |
| Poona. . . | The Curator, Mahatma Phule Vastu Sangrahayalaya, Poona, Ghole Road, Poona-411004, Maharashtra. |
| do- | The Director, National Chemical Laboratory of India. Poona-411008, Maharashtra. |

11. ORISSA:

| | |
|---|---|
| Bhubaneswar . | The Director, Regional Research Laboratory, Bhubaneswar, Orissa. |
| Cuttack . . | The Librarian, Kanika Library, Ravenshaw College, Cuttack-2. Orissa. |

12. PUNJAB:

| | |
|---|---|
| Faridabad . . | Head Research & Development Centre, Indian Oil Corporation Ltd., 45-46, Sector 16-A, Faridabad. |
| Ludhiana . . | The Scientist-in-charge, Mardo Centre, Mechanical Engineering Research & Development Organisation (S.C.I.R.), Guru Nanak College Compus, Gill Road, Ludhiana-3. |

13. RAJASTHAN:

| | |
|---|---|
| Jaipur . . | The Director of Industries & Supplies, Jaipur, Rajasthan. |

14. TAMIL NADU:

| | |
|---|---|
| Annamalainagar . | The Librarian, Annamlai University Library, Annamalai Nagar, P.O., South Arcot Dist., Madras. |
| Karaikudi . | The Director, Central Electro-Chemical Research Institute, Karaikudi, Madras. |
| Madras . . | The Asstt. Controller of Patents and Designs, Patent Office Branch, 776, Triplicane High Road, Madras-5. |
| -do- | The Curator, Record Office, Egmore, Madras. |
| -do- | The Director, Central Leather Research Institute, Madras. |

15. UTTAR PRADESH:

| | |
|---|---|
| Allahabad . . | The Director, Sheila Dhar Institute of Soil Science, University of Allahabad, 2-D, Beli Road, Allahabad, U.P. |
| -do- . | The Honorary Secretary, Institution of Engineers (India) Sub- Centre, Teliaraganj, Allahabad. |
| Dehra Dun . . | The President, Forest Research Institute and College Dehra Dun, U.P. |

| | | |
|---|---|---|
| Dehra Dun | | The Scientist, Indian Institute of Petroleum, I.I.P. P.O., Dehra Dun, U.P. |
| Hardwar | . . | The Dy. Chief Engineer, Technical Services, Bharat Heavy Electricals Ltd., Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar, U.P. |
| Kanpur | . . | The Principal, Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur, U.P. |
| Lucknow | . . | The Librarian, Amiruddaula Public Library, Lucknow, U.P. |
| -do- | . | The Director, National Botanical Gardens, Lucknow, U.P. |
| -do- | | The Director, Central Drug Research Institute, Lucknow. |
| -do- | . | The Senior Librarian of the Director-General, Research, Designs & Standards Organisation, Ministry of Railways, Alambagh, Lucknow-5. |
| Roorkee | . . | The Director, Central Building Research Institute, Roorkee, U.P. |
| Varanasi | . . | The Director, Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi-5. |
| 16. WEST BENGAL: | | |
| Calcutta | . . | The Controller of Patents & Designs, The Patent Office, 214 Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta-70017 |
| -do- | . . | The Secretary, Councils of the University Colleges of Sciences & Technology, 92, Upper Circular Road, Calcutta-700009. |
| Durgapur | . | The Director, Central Mechanical Engineering Research Institute, Mahatma Gandhi Avenue, Dugrgapur-9, West Bengal. |
| Howrah | . . | The Principal, Bengal Engineering College, Shibpur, Howrah, West Bengal. |
| Kharagpur | . . | The Director, Indian Institute of Technology, P.O. Kharagpur Technology, Kharagpur, S.E. Rly. |
| 17. WEST GERMANY: | | |
| Munich | . . | The President, The German Patent Office, Zweibruckenstrasse, 12,8000 Munich, West Germany. |
| 18. U.S.A. | | |
| Washington | . . | The Commissioner of Patents, The Patent Office, Washington D.C., U.S.A. |

[No. 18(22)/P&C/74]

S. B. SUBRAMANIAN, Under Secy.,

---

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1975

का० आ० 2820.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (उत्पादन का नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में, उपखण्ड (क), (ग) (च) और (ज) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त आदेश के खण्ड 3 में :—

(i) उपखण्ड (ख) में, "16 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "15 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपखण्ड (ग), (घ), (ङ) और (च) का लोप किया जाएगा।

4. उक्त आदेश के खण्ड 5 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :—

"5 खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता में फेरफार :—जहां किसी विनिर्माता की अधिष्ठापित-क्षमता खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतताओं के अनुसार कागज का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वह उक्त खण्ड के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट सीमा तक श्वेत मुद्रण-कागज का, और कागज के विनिर्माण के लिए उपलब्ध उसकी शेष अधिष्ठापित-क्षमता की सीमा तक क्रीम-लेड या वोव कागज का, विनिर्माण करेगा।"

5. उक्त आदेश के खण्ड 6 में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात्, "लोक हित में या कागज उद्योग के विकास के लिए या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 14 (17)175-कागज]

बी० एन० जयसिम्हा, संयुक्त सचिव

---

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1975

**S.O. 2820.—In exercise of the powers conferred by section** 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Control of Production) Order, 1974, namely :—

1. (1) This Order may be called the Paper (Control of Production) Second Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Paper (Control of Production) Order, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), sub-clauses (a), (c), (f) and (h) shall be omitted.

3. In clause 3 of the said Order :—

(i) in sub-clause (b), for the figures and words "16 per cent", the figures and words "15 per cent" shall be substituted ;

(ii) Sub-clauses (c), (d), (e) and (f) shall be omitted

4. For clause 5 of the said Order, the following clause shall be substituted, namely :—

"5. Variation of the percentages specified in clause 3:— Where the installed capacity of a manufacturer is not sufficient to manufacture paper according to the percentage specified in clause 3, he shall manufacture white printing paper to the extent specified in sub-clause (a) of the said clause and cream laid or wove paper to the extent of the balance of his installed capacity available for the manufacture of paper".

5. In clause 6 of the said Order, after the words "Central Government may", the words "in the public interest or for the development of paper industry or", shall be inserted.

[No. 14(17)/75-Paper]

B. N. JAYASIMHA, Joint Secy.

## भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1975

**का० आ० 2821.**—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 18 जून, 1975 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि लाइसेंसधारी का कार्य असंतोषजनक है :—

अनुसूची

| लाइसेंस संख्या तथा तिथि | लाइसेंसधारी का नाम और पता | लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया | तत्सम्बन्धी भारतीय मानक |
|---|---|---|---|
| सीएम/एल-3270 3-1-1973 | मेसर्स श्री संतोष सॉ मिल्स डब्ल्यू-9, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुनानगर। | चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड की पट्टियां ट्रेड मार्क : एस० एस० एम०। | IS : 10-1970 |

[संख्या एम०डी०डी०/55 : 3270]

## INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 5th August, 1975

**S.O. 2821.**—In pursuance of sub-regulation (4) of Regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955, as amended from time to time the Indian Standards Institution, hereby notifies that the licence, particulars of which are given below, has been cancelled with effect from 18th June, 1975 as the performance of the licensee was unsatisfactory:

| Licence No. and Date | Name and addres of the licensee | Articles/Process covered by the licence | Relevant Indian Standards |
|---|---|---|---|
| CM/L-3270 3-1-1973, | M/s Shri Santosh Saw Mills, W-9 Industrial Area, Yamunanagar. | Plywood Tea-Chest Battens. Trade Mark: 'S.S.M.' | IS:10-1970 |

[No. MDD/55:3270]

नई दिल्ली, 7 अगस्त 1975

**का० आ० 2822.**—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-3621 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, लाइसेंसधारी द्वारा अपना नाम मेसर्स फोटोफोन लिमिटेड से मेसर्स फोटोफोन प्रा० लिमिटेड कर लेने के कारण 16 अप्रैल, 1975 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

| लाइसेंस संख्या और तिथि | लाइसेंसधारी का नाम और पता | रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया | तत्सम्बन्ध भारतीय मानक |
|---|---|---|---|
| सीएम/एल-3621 6 दिसम्बर, 1973 | मेसर्स फोटोफोन लिमिटेड, साकीनाका, 7 साकी विहार रोड, बम्बई-72 एस कार्यालय : सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, बम्बई। | 16 मिमी के सुवाह्य ध्वनि तथा चित्रवर्शी प्रोजेक्टरों 230, वोल्ट 50 हाटज, 400 वाट 24 वोल्ट/200 वाट के हैलोजन लैम्प वाले प्रक्षेप लैम्प (फर्म के माडल संख्या आई एम आई 35,107 एफ और आईएमआई 35,108 एफ). मार्का-थोटो-फोन। | IS : 4497-1968 16-मिमी सुवाह्य के ध्वनि तथा चित्रवर्शी सिनेमा प्रोजेटरों की विशिष्टि। |

[सं० सी० एम० डी० 55 : 3621(इ० टी०)]

New Delhi, the 7th August, 1975

**S.O.2822**—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-3621 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 16th April, 1975 due to change in licensee's name from M/s. Photophone Ltd., to M/s. Photophone Pvt. Ltd., :—

| Licence No. and Date | Name & Address of the Licensee | Article/Process Covered by the Licence Cancelled | Relevant Indian Standard |
|---|---|---|---|
| CM/L-3621 6 Dec. 1973. | M/s. Photophone Limited, Saki - Naka, 7 Saki Vihar Road, Bombay-72 AS having their office at Sardar Vallabhbhai Patel Road, Bombay. | 16mm portable sound-and picture cinematograph projectors, 230 volts, 50 Hz, 400 W with projection lamp of 24V/200 W, Halogen lamp. (firm's model Nos. IMI 35107 F and IMI 35 108 F) Brand:— 'PHOTOPHONE' | IS: 4497-1968 Specification for 16-mm portable sound-and-picture cinematograph projectors. |

[No. CMD/55:3621(ET)]

का० आ० 2823—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अनुसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सीएम/एल-3282 जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, 16 अप्रैल, 1975 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि लाइसेंसधारी ने पूर्ण एलुमिनियम चालकों और इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालकों का उत्पादन बंद कर दिया है।

अनुसूची

| लाइसेंस संख्या तथा तिथि | लाइसेंसधारी का नाम और पता | रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया | तत्सम्बन्धी भारतीय मानक |
|---|---|---|---|
| सीएम/एल-3282 8 जनवरी, 1973 | दि इंडियन केबल कं० लि०, केबल हाउस, हैडाप्सर इंडस्ट्रियल इस्टेट, पूना कार्यालय : 9 हेअर स्ट्रीट, कलकत्ता-1. | पूर्ण एलुमिनियम चालक और इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालक मार्का : 'इन्कैब' और 'डब्ल्यू आई सीएल'। | IS : 398--1961 शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए सख्त खिंचे लड़दार एलुमिनियम और इस्पात की कोर वाले एलुमिनियम चालकों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)। |

[सं०सीएमडी/55 : 3282 (इटी)

ए० के० गुप्ता, उप-महानिदेशक

**S. O. 2823.**—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No.CM/L-3282 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 16th April, 1975 as the Licencee has stopped the production of all aluminium conductors and ACSR conductors :—

| Licence No. and Date | Name & Address of the Licensee | Article/Process Covered by the Licence cancelled | Relevant Indian Standard |
|---|---|---|---|
| CM/L-3282 8 January, 1973. | The Indian Cable Co. Ltd., Cable House, Hadapsar Industrial Estate, Poona-13 having their Regd. Office at 9 Hare Street, Calcutta-1. | All aluminium conductors and AC SR conductors Brand:— 'INCAB' & 'WICL' | IS:398-1961 Specification for hard-drawn stranded aluminium and steel-cored aluminium conductors for overhead power transmission purposes (Revised). |

[No. CMD/55:3282 (ET)]

A. K. GUPTA, Deputy Director

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

**का० आ० 2824.**—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस० ओ० 3151 दिनांक 15 जुलाई, 1972 के साथ प्रकाशित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (कलकत्ता) नियमावली, 1972 नियम 1 के उपनियम (3) के खण्ड (i) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस नियमावली को 1 अगस्त, 1975 से कलकत्ता के निम्नलिखित क्षेत्रों में भी लागू करती है, नामतः—

(1) रिजेन्ट एस्टेट (औषधालय सं० छः) :—इस औषधालय की सीमाएं इस प्रकार हैं-दक्षिण में टौलीगंज नाला पर रायपुर रोड के संगम से गरिया बाजार संगम तक, पश्चिम में रायपुर रोड पर लल्लूका रोड तक और आगे मीनापारा रोड और प्रिंस गोलाम मोहम्मद साहा रोड से प्रिंस अन्वर साहा रोड के संगम तक; उत्तर में प्रिंस अन्वर साहा रोड पर प्रिंस मोहम्मद साहा रोड संगम से लेकर राजा सुबोध चौक मलिक रोड तक; पूर्व में राजा सुबोध चौ० मलिक रोड पर प्रिंस अन्वर साहा रोड से लेकर गरिया बाजार के संगम तक।

नोट :—इस क्षेत्र में कलकत्ता वार्ड सं० 99, 100 और 95 का वह भाग सम्मिलित है जो प्रिंस अन्वर साहा रोड के दक्षिण में और राजा सुभाष चो मलिक रोड के पश्चिम में पड़ाता है।

(2) भवानी पुर-कालीघाट-(औषधालय सं० सात) :—इस औषधालय की सीमाएं इस प्रकार हैं—पश्चिम में टौलीगंज नाला और देवेन्द्र रोड पर आचार्य जगदीश बोस रोड के संगम तक; पूर्व में सरत बोस रोड पर आचार्य जगदीश बोस रोड के संगम से लेकर राश बिहारी एवेन्यू के संगम तक; दक्षिण में राश बिहारी एवेन्यू पर (सरत बोस रोड के संगम से) लेकर चेतला सेंट्रल रोड तक जहां उसका टौलीगंज नाले से संगम होता है; उत्तर में आचार्य जगदीश बोस रोड पर देवेन्द्र रोड के संगम से सरत बोस रोड के संगम तक।

नोट :—इस क्षेत्र में कलकत्ता डाक जोन 25, 26 और 20 के अधिकांश भाग शामिल हैं अर्थात् जो क्रमशः भवानीपुर, कालीघाट और लाला लाजपत राय सरानी हैं।

[सं० 11012/2/75 के० स० स्वा०यो०]

पी० वी० शरिहरशंकरन, उप सचिव,

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 14th July, 1975

**S.O. 2824.**—In pursuance of clause (i) of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Calcutta) Rules, 1972 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. S.O. 3151 dated the 15th July, 1972 the Central Government hereby extends the said rules with effect from the 1st August, 1975 to the following areas in Calcutta namely :—

1. Regent Estate (Disp. No. VI).—This dispensary is bounded-on South by Tollyganj Nala from junction of Raipur Road upto junction of Garia Bazar. On west by Raipur Road upto Lalka Road extended to Minapara Road and Prince Golam Mohammed Saha Road upto junction of Prince Anwar Saha Road; on North by Prince Anwar Saha Road from junction of Prince Golam Mohammed Saha Road upto Raja Subodh Ch. Mallick Road; on East by Raja Subodh Ch. Mallick Road from Prince Anwar Saha Road upto junction of Garia bazar.

Note.—This area comprises Calcutta ward Nos. 99, 100 and part of 95 falling on the South of Prince Anwar Saha Road and West of R. S. Ch. Mallick Road.

2. Bhowanipur—Kalighat—(Disp. No. VII).—This dispensary is bounded on the West by Tollyganj Nala & Devendra Road upto junction of Acharya Jagadish Bose Road; East by Sarat Bose Road from junction of Acharya Jagdish Bose Road upto junction of Rash Behari Avenue. South by Rash Behari Avenue (from the junction of Sarat Bose Road) extended upto chetla Central Road at the junction of Tollyganj Nala; North by Acharya Jagadish Bose Road from the junction of Devendra Road to the junction of Sarat Bose Road.

Note.—This area comprises the major part of Calcutta Postal Zone 25, 26 and 20 i.e. Bhowanipur, Kalighat and Lala Lajpat Rai Sarani respectively.

[No. S. 11012/2/75-CGHS]

P. V. HARIHARASANKARAN, Deputy Secy.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई, 1975

**का० आ० 2825.**—दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) के खण्ड 2 की धारा (ङ) की उपधारा (i) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली नगर पालिका को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए उचित प्राधिकारी नामित करती है।

[एफ० सं० एफ० 44-1/75 यू० टी०-I]

सी० बालकृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 21st July, 1975

**S.O. 2825.**—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of section 2 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973), the Central Government hereby designates the New Delhi Municipal Committee as the appropriate authority for the purposes of the said sub-clause.

[F. No. 44-1/75-UT-I]

C. BALAKRISHNAN, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(नौवहन महानिदेशालय)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

**का० आ० 2826.**—भारत सरकार के परिवहन और नौवहन मंत्रालय की नाविकों के लिए रसद की मात्रा संबंधी अधिसूचना सं० -ए० ओ० 2169 तारीख 21-6-1967 के परिशिष्ट की सूचना (3) का अनुसरण करते हुए तथा नौवहन महानिदेशक के आदेश सं०-9(21) सी० आर० ए०167, तारीख 19-11-1973, का अधिक्रमण करते हुए मैं, श्री बी०

भावे, नौवहन महानिदेशक एतद्द्वारा आदेश देता हूं कि इस आदेश की तारीख से कुल दैनिक चावल की मात्रा 350 ग्राम चावल के स्थान पर 250 ग्राम, इस संबंध में आगामी आदेशों तक होगी यदि चावल की भारत में वसूली की गयी हो।

चावल की मात्रा 100 ग्राम की कमी की पूर्ति के लिए, अन्य मदों की मात्रा प्रत्येक दिन 25 ग्राम प्रति एकक के लिए अधोलिखित मात्रा में बढ़ा दी जाएगी।

10 ग्राम ताजी मछली, या
5 ग्राम मांस या
50 ग्राम सूखी सब्जियां या,
25 ग्राम ताजी सब्जियां।

[सं० 35(36)सी० आर० ए०/75]

श्री वि० भावे, नौवहन महानिदेशक

## MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Directorate General of Shipping)

ORDER

Bombay, the 25th July, 1975

**S.O. 2826.**—In pursuance of note (3) of the schedule to the Notification of the Govt. of India in the Ministry of Transport & Shipping relating to scales of provision for seamen, No. S.O. 2169, dated 21-6-1967, and in supersession of the order of Director General of Shipping, No. 9(21)/CRA/67, dated 19-11-1973, I, S. V. Bhave, Director General of Shipping hereby order that with effect from the date of this order the total daily scale of rice rations of 350 grams shall stand amended to 250 grams if procurement is made in India, until further orders in this regard.

2. As a compensation for the reduction of 100 grams in the rice ration, the scale of other items shall be increased per day as under for each unit of 25 grams :—

10 grams of fresh fish, or
5 grams of meat, or
5 grams of meat, or
25 grams of fresh vegetables.

[No. 35(36)CRA/75]

S. V. BHAVE, Director General

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

**का०आ० 2827.**—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने जटनी टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-9-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-17/75पी० एण्ड बी०]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 18th August, 1975

**S.O. 2827.**—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960 the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16-9-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Jatni Telephone Exchange Orissa Circle.

[No. 5-17/75-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1975

**का० आ० 2828.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड, क्वीलन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू टी० पालानिआप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र का, श्री थांकप्पन पिल्लई बिजली मिस्त्री को, 14 अप्रैल, 1973 से यांत्रिक फोरमैन के कर्तव्य के अतिरिक्त भार से हटाना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो क्या श्री थांकाप्पन पिल्लई, यांत्रिक फोरमैन के पद पर पुष्टि के पात्र हैं या क्या वह किसी अन्य लाभ के हकदार हैं और किस तारीख से ?

[संख्या एल०-29011/33/75-डी० ओ०-3बी०]

## MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 9th July, 1975

**S.O. 2828.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kerala Minerals and Metals Limited, Quilon and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Kerala Minerals and Metals Limited was justified in removing with effect from 14th April, 1973 Shri Thankapan Pillai, Electrician from the additional charge of the duties of Mechanical Foreman? If not, whether Shri Thankappan pillai is eligible for confirmation to the spot of Mechanical Foreman or is he entitled to any other benefit and from what date ?

[No. L-29011/33/75-D.O.III.B]

आदेश

नई दिल्ली 23 जुलाई, 1975

**का० आ० 2829.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की भोजुडिह कोल वाशरी, डाकघर संतालडिह, जिला पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयण के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की भोजुडिह कोल वाशरी, डाकघर संतालडिह, जिला पुरुलिया, पश्चिमी बंगाल के प्रबन्धतंत्र की श्री राम बरारी, चौकीदार, के धारणाधिकार को 4 मई, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का और किस तारीख से हकदार है?

[संख्या एल०-19012/19/74-एल० आर० II डी०/ओ० बी० III बी]

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

**S.O. 2829.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bhojudih Coal Washery of Messrs Hindusthan Steel Limited, Post Office Santaldih, District Purulia, West Bengal, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bhojudih Coal Washery of Messrs Hindusthan Steel Limited, Post Office Santaldih, District Purulia, West Bengal, in terminating the lien of Shri Ram Barari, Watchman, with effect from 4th May, 1974 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled and from which date ?

[No. L-19012/19/74-LRII/D.O.III-B]

आदेश

**का० आ० 2830.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्रीमती परमजीत कौर, खान स्वामी, कोटा-2, राजस्थान की धनेश्वर बलुआ पत्थर खानों के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्रीमती परमजीत कौर, खान स्वामी, कोटा, राजस्थान की धनेश्वर बलुआ पत्थर खानों में नियोजित कर्मकारों की, लेखा वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के लिए मजदूरी के 20 प्रतिशत की दर से लाभ सदभाजन बोनस के संदाय की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार इनमें से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की कितनी मात्रा के हकदार हैं?

[संख्या एल०-29011/53/75-डी० III बी०]

ORDER

**S.O. 2830.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dhaneshwar Sand Stone Mines of Shrimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota-2, Rajasthan, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Dhaneswar Sand Mines of Srimati Paramjit Kaur, Mine Owner, Kota, Rajasthan, for payment of profit sharing bonus @ 20 per cent of wages for the accounting years 1971-72, 1972-73, and 1973-74 is justified? If not, to what quantum of bonus are the workers entitled, for each of these years ?

[No. L-29011/53/75-D.IIIB]

आदेश

**का० आ० 2831.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ऑल इंडिया स्टोन कम्पनी की मालपहाड़ी मजूर कोला पत्थर खान, पाकुर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स ऑल इंडिया स्टोन कम्पनी की मालपहाड़ी मजूर-कोला पत्थर खान, पाकुर के प्रबन्धतंत्र की मालपहाड़ी मजूरकोला

पत्थर खान, में के श्री जयन्ती कुमार बनर्जी, उत्स्फोटक की, बुढ़ापे के कारण आयोग्यता के आधार पर 31 जनवरी, 1975 से सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।?

[संख्या एल०-29011/92/75/डी० III बी]

एस० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी

ORDER

**S.O. 2831.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs All India Stone Company, Pakur and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Malpahari Majoorkola Stone Mine of Messrs All India Stone Company, Pakur in terminating the services of Shri Jayanti Kumar Banerjee, Blaster, in the Malpahari Majoorkola Stone Mine, with effect from the 31st January, 1975, on the ground of unfitness due to old age is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-29011/92/75/D.IIIB]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

**का० आ० 2832**:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की बेरा कोलियरी, डाक घर धनसार, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

यह ध्यान में रखते हुए कि श्री वैद्यनाथ झा, साधारण लिपिक को तत्कालीन बेरा कोल कम्पनी द्वारा अगस्त, 1971 में नियोजित किया गया था, क्या बेरा कोलियरी जो कि अब मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड डाकघर धनसार, जिला धनबाद के स्वामित्वाधीन है, के प्रबन्धतंत्र की 31-1-1973 से कोलियरी का प्रबन्ध ग्रहण करने के परिणामस्वरूप उन्हें अपने स्थापन में आमेलित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[संख्या एल०-20012/54/75-डी०-3 ए०]

ORDER

New Delhi the 21st July, 1975

**S.O. 2832.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bera Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Taking into consideration that Shri Baidya Nath Jha, General Clerk, was employed by the erstwhile Bera Coal Company in August, 1971, whether the action of the management of Bera Colliery now owned by Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Dhansar, District Dhanbad, in not absorbing him in their establishment consequent on the take-over of the Colliery with effect from 31-1-1973 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-20012/54/75-D.IIIA]

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 23 जुलाई, 1975

**का० आ० 2833**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तेतुलमारी कोलियरी, डाकघर सिजुआ, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है?

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की तेतुलमारी कोलियरी, डाकघर सिजुआ, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री अवधेश कुमार सिंह, मुन्शी को 15 जनवरी, 1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल०-20012/52/75-डी० IIIए०]

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

**S.O. 2833.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Tetulmari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Tetulmari Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sijua, District Dhanbad, in dismissing Shri Awadhesh Kumar Singh, Munshi, with effect from the 15th January, 1975, is justified ? If not to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-20012/52/75/DIII.A]

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

**का० आ० 2834.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स वैस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड के डायमण्ड ड्रिल सिंडिकेट, खास बावजना कोलियरी, डाकघर निर्सा चिट्टी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या मैसर्स वैस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड के डायमन्ड ड्रिल सिंडिकेट, खास बावजना कोलियरी, डाकघर निर्सा चिट्टी, जिला धनबाद के कर्मकारों की, कोयला खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरियों, मंहगाई भत्ता और परिवर्ती मंहगाई भत्ता के संदाय की मांगें न्यायोचित हैं ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?

2. क्या मैसर्स वैस्टर्न बंगाल कोल फील्ड्स लिमिटेड के डायमन्ड ड्रिल सिंडिकेट, खास बावजना कोलियरी, डाकघर निर्सा चिट्टी जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र का अपने कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएं न देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल०-20012/22/74/एल०आर० IIडी०III]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी विशेष

ORDER

New Delhi, the 24th July, 1975

**S.O. 2834.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Diamond Drill Syndicate of Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khas Badjna Colliery, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

I. Whether the demands of the workmen of Diamond Drill Syndicate of Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khas Badjna Colliery, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, for payment of wages, dearness allowance and variable dearness allowance as per the recommendations of the Central Wages Board for Coal Mining Industry, are justified ? If so, to what relief are the workmen entitled and from what date ?

II. Whether the management of Diamond Drill Syndicate of Messrs Western Bengal Coal Fields Limited, Khas Badjna Colliery, Post Office Nirsachatti, District Dhanbad, are justified in not providing medical facilities to its employees? If not, to what relief are the workmen entitled?

[No. L-20012/22/74/LRII/DIIIA]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

**का० आ० 2835.**—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों, कलकत्ता के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1974 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ?

अनुसूची

क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की, यातायात विभाग के प्रेषक लिपिक-श्री शांति रंजन मुखर्जी को, सर्वश्री एच० एन० डे, आर० एन० मित्तर और के० सी० मुखर्जी से कनिष्ठ मानने और उसे गेट क्लर्क के पद पर प्रोन्नत न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-32012/8/75-डी० IV-ए०]

नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1975

**S.O. 2835.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

AND WHEREAS the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for abjudication;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the Calcutta Port Commissioners in treating Shri Santi Ranjan Mukherjee, Forwarding Clerk of Traffic Department, as junior to Sarvashri H. N. Dey, R. N. Mitter and K. C. Mukherjee and not promoting him to the post of Gate Warder is justified ? If not, to what relief is he entitled ?

[No. L-32012/8/75-D-IV A]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

---

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

**का० आ० 2836** .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम०एस० पद्मनाभन, टिम्बर मर्चेंट तथा निर्यातक, 35 एल्डमा रोड, मद्रास-18 जिसमें (1) 19/971 ईस्ट कोल्लाई रोड, कोल्लाई, कालीकट-3, केरल (2) 62 क्लाइव स्ट्रीट, कुडालोर तमिलनाडु (3) 156 जैन स्ट्रीट विराज पेट कर्नाटक स्थित इसकी शाखाएं भी सम्मिलित हैं नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के नवम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई उक्त समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(163)/73-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 16th August, 1975

**S.O. 2836.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. S. Padmanabhan Timber Merchant and Exporter, 35, Eldama Road, Madras-18 [including its branches at (1) 19/9/1 East Kollai Road, Kollai, Calicut, 3(Kerala) (2)62 Clive Street, Cuddalore, Tamilnadu (3) 156, Jain Street, Virajapet, Karnataka], have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1973.

[No. S. 35019(163)/73-PF. II]

**का० आ० 2837** .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टी० एम्स० टक्सटायल, 126 ए, साउथ मासी स्ट्रीट, मदुराई-625001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(59)/74-पी०एफ० 2]

**S.O. 2837.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs T.M.'s Textiles, 126A, South Masi Street, Madurai-625001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1974.

[No. S. 35019(59)/74-PF. II]

**का० आ० 2838** .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एच०बी०डी० मशीन मन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन यूनिट 120 भारत इण्डस्ट्रिएल एस्टेट, टी०जे०रोड, मुम्बई-15 जिसमें 635 जे०एस० शंकर शत रोड चौथी मंजिल मुम्बई-2 (एच० ओ०) स्थित एक इकाई भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018(97)74-पी०एफ० 2]

**S.O. 2838.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. H. B. D. Machinery Manufacturing Corporation Unit, 120 Bharat Industrial Estate T. J. Road, Bombay-15 including one Unit at 635, J. Shankar Shat Road, 4th Floor, Bombay-2 (H.O.) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1974.

[No. S. 35018/(97)/74-PF. II]

का० आ० 2839.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मसर्स लैसा पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, स्टेशन रोड, पेट्टाह, त्रिवेन्द्रम-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस-35019(167)/74-पी०एफ० 2(i)]

**S.O. 2839.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Laisa Publications (Private) Limited, Station Road, Pettah, Trivandrum-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1974.

[No. S. 35019(167)/74PF. II(i)]

का० आ० 2840.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मार्च, 1974 से मैसर्स लैसा पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, स्टेशन रोड, पेट्टाह, त्रिवेन्द्रम-1 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं०एस०-35019(167)/74-पी०एफ०(2)(ii)]

**S.O. 2840.**—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of March, 1974, the estalishment known as Messrs Laisa Publications (Private) Limited, Station Road, Pettah. Trivandrum-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(167/74-PF. II(ii)]

का० आ० 2841.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि डा० शकुन्नीज नर्सिंग होम, पालघाट रोड, पोलची नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(195)/74-पी०एफ०2]

**S.O. 2841.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Dr. Shankunny's Nursing Home, Palghat Road, Pollachi, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1974.

[No. S. 35019(195)/74-PF. II]

का० आ० 2842.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अत्सुअन केमिकल कारपोरेशन, प्लाट ए-4, एम०आई०डी०सी० केमिकल जोन, अम्बरनाथ जिसमें 23 जानकी निवास, एन०सी० केलकर रोड, दादर, मुम्बई-28 स्थित शाखा भी सम्मलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रब प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(17)/75-पी०एफ० 2]

**S.O. 2842.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Atsuan Chemical Corporation, Plot No. A-4, M.I.D.C. Chemical Zone, Ambernath including Branch at 23, Janki Niwas, N. C. Kelkar Road, Dadar, Bombay-28, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1974.

[No. S. 35018(17)/75-PF. II]

का० आ० 2843.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कालूमल शोरीमल सुखदेव रंगशाला (प्राइवेट) लिमिटेड, कोल गेट रोड, थाना, मुम्बई नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जनवरी के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018(20)/75-पी०एफ० 2]

**S.O. 2843.—Whereas it appears to the Central Government** that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kaloomal Shorimal Sachdev Rangwala (Private) Limited, Kalshet Road, **Thana, Bombay, have agreed that the provisions of the Emp**loyees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1974.

[No. S. 35018(20)/75-PF. II]

का० आ० 2844.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जमनादास एण्ड कम्पनी, बक्शी नी०-वाडी, सलाबतपुर, सूरत, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की मई के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(42)/75-पी०एफ० 2]

**S.O. 2844.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jamnadas and Company, Baxi-ni-wadi, Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1974.

[No. S. 35019(42)/75-PF. II]

का० आ० 2845.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पुरुषोत्तमदास छगनलाल, बक्सी-नी-वाड़ी, सलाबतपुर, सूरत नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की मई के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(43)/75-पी०एफ० 2]

आर० पी० नरूला, अवर सचिव

**S.O. 2845.—Whereas it appears to the Central Government** that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Purshottamdas Chhaganlal, Baxi-ni-wadi, Salabatpura, Surat, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1974.

[No. S. 35019(43)/75-PF. II]

R. P. Narula, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

का० आ० 2846.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए० 12016(4)/72-पी० एफ-I तारीख 24 सितम्बर, 1974 को विखण्डित करती है।

[सं० ए० 12016(12)/74-पी० एफ०-I(1)]

New Delhi, the 14th August, 1975

**S.O. 2846.—In exercise of the powers conferred by sub**-section (2) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. A. 12016/4/72-PF. I dated 24th September, 1974.

[No. A-12016/16/12/74-PF. I(i)]

का० आ० 2847.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० ए-12016(4)/72-पी० एफ०-I (2)] तारीख 24 सितम्बर, 1974 को विखण्डित करती है।

[सं० ए०-12016(12)/74-पी० एफ०-I (2)]

**S.O. 2847.—In exercise of the powers conferred by sub**-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. A-12016/4/72-PF. I(ii) dated the 24th September, 1974.

[No. A-12016/12/74-PF. I(ii)]

का० आ० 2848.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामदास नारन भाई एण्ड कम्पनी, धाभाम ताल्लुका, नाडियाद, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि

अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहियें ;

अतः, अब, उक्त अधिसूचना की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(25)/75-पी० एफ० 2]

**S.O. 2848.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ramdas Naranbhai and Company, Dabhan Taluka, Nadiad, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exericise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1973.

[No. S. 35019/25/75-PF. II]

का० आ० 2849.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो टेक्नालोजी (प्राइवेट) लिमिटेड, 33/5, एस० एस० आई एरिया, तृतीय क्रोस रोड़, राजाजीनगर, बंगलौर-10 नामक स्थापन से संम्बध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(32)/75-पी० एफ० 2]

**S.O. 2849.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Hindustan Electro Technology (Private) Limited 33/5, S. S. I. Area, 3rd Cross Road, Rajajinagar, Bangalore 10 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1975.

[No. S. 35019/32/75-PF. II]

का० आ० 2850—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आशा हैंडलूमस, आझीकोडे, डाकघर, कन्नानोर, केरल, नामक स्थापन से सम्बंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगी।

[सं० एस०-35019(137)/74-पी० एफ०2]

**S.O. 2850.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Asha Handlooms, Azhikode Post Office Cannanore, Kerala, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1974.

[No. S. 35019/137/74-PF. II]

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1975

का० आ० 2851.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सांगली डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, 73-क बाखर भाग, सांगली, (जिसमें कोल्हापुर रोड, सांगली स्थित उसकी शाखा भी सम्मिलित है) नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35018 (117)/73-पी० एफ० (2)]

New Delhi, the 16th August, 1975

**S.O. 2851.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sangli District Transport Consumers' Co-operative Society Limited, 73-A Bakhar Bhag, Sangli, (including its branch at Kolhapur Road Sangli), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1972.

[No. S. 35018(117)/73-PF. II]

का० आ० 2852.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आर० डी० इंजिनियरिंग कम्पनी, मोहन जी सुन्दर जी बाड़ी के०के० वूलन मिल्स के पीछे, ओगल एस्टेट, थाना-4, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है

कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०35018(108)/74-पी० एफ० 2]

प्रसन्न चन्द्रा, अवर सचिव।

**S.O. 2852.**—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. R. D. Engineering Company, Mohanji Sunderji Wadi, Behind Kay Kay Woollen Mills, Wagal Estate, Thana-4 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S. 35018/108/74-PF. II]
PARSAN CHANDRA, Under Secy.

---

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

**का० आ० 2853.**—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2256, तारीख 20 अगस्त, 1974 के अनुक्रम में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 23 अक्तूबर, 1974 से 22 अक्तूबर, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात्:—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (विविध) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में उसकी ओर से दी जानी थीं।

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम, की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो —

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने या

(ii) यह अभिनिश्चित करने कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (विविध) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने कि क्या कर्मचारी नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए गए उन फायदों को पाने का हकदार बना रहता है जिसको ध्यान में रखते हुए इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में ऐसे उपबंध प्रवृत्त थे, अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अनुपालन किया गया था के प्रयोजनार्थ —

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करने कि वह उसे ऐसी सूचना दे जिसे वह आवश्यक समझे ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करने और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, ऐसी अपील करे कि लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी को प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे या उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्त्ता या सेवक या ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसरों में पाए गए किसी व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने, का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करने या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की प्रतियां तैयार करने या उससे उद्धरण लेने के लिये सशक्त होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि नियोजक से छूट के लिये प्रार्थना विलम्ब से प्राप्त हुई थी। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां जिन में कारखानों को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी अभी तक भी जारी हैं और कारखानों का छूट के लिए पात्र होना जारी है।

[सं० एस०-38017(9)/74-एच० आई०]

New Delhi, the 18th August, 1975

**S.O. 2853.**—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2256 dated the 20th August, 1974, the Central Government hereby exempts the National Physical Laboratory, New Delhi from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 23rd October, 1974 upto and inclusive of the 22nd October, 1975.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such rovisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become, necessary to retrospective effect to the exemption in this case as the request from the employer for exemption was received late. However, it is certified that the conditions under which the factories were initially granted exemption still persist and the factories continue to be eligible for exemption.

[No. S-38017/9/74-HI]

**का० आ० 2854.**—उड़ीसा राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री सोवन कानुनगो, सचिव उड़ीसा सरकार, श्रम नियोजन और आवास विभाग को श्री आर० सी० पत्रा के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्देशित किया है;

अतः अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत सरकार भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2763 तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में (धारा 4 के खंड (घ) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नाम निर्देशित) शीर्षक के अधीन मद 17 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी अर्थात:—

"श्री सोवन कानुनगो
सचिव, उड़ीसा सरकार
श्रम, रोजगार और आवास विभाग
भुवनेश्वर"

[फा० सं० यू० 16012/10/74-एच० आई०]

**S.O. 2854.**—Whereas theState Government of Orissa has in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri Sovan Kanungo, Secretary to the Government of Orissa, Labour Employment and Housing Department, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri R. C. Patra ;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by State Government under clause (d) of section (4)", for the entry against item 17, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Sovan Kanungo,
Secretary to the Government of Orissa,
Labour, Employment and Housing Department,
Bhubaneswar."

[F. No. U-16012/10/74-HI]

**का० आ० 2855.**—गुजरात राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री के० बी० हरिहरवास, सचिव, गुजरात सरकार, पंचायत और स्वास्थ्य विभाग को श्री जी० एन० डिके के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये नाम निर्देशित किया है ;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2763 तारीख 27 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "(धारा 4 के खंड (घ) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नामनिर्देशित)" शीर्षक के अधीन, मद 10 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री के० बी० हरिहरवास,
सचिव, गुजरात सरकार,
पंचायत और स्वास्थ्य विभाग,
गांधी नगर"

[फा० सं० यू० 16012/5/75-एच० आई०]
जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव।

**S.O. 2855.**—Whereas the State Government of Gujarat has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri K. V. Hari Har Das, Secretary to the Government of Gujarat, Panchayat and Health Department, to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in the place of Shri G. N. Dike;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) number S.O. 2763, dated the 27th May, 1971, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d)", of section 47 for the entry against item 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri K. V. Hari Har Das,
Secretary to the Government of Gujarat,
Panchayat and Health Department,
Gandhinagar."

[F. No. U-16012/5/75-HI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

---

आदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

**का० आ० 2856**:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली, से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री के० एन० श्रीवास्तव होंगे जिनका मुख्यालय कानपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र द्वारा, द्विपक्षीय समझौता के अनुसार श्री महेश चन्द्र जैन, उक्त बैंक की फिरोजाबाद शाखा में लिपिक को, 12 नवम्बर, 1971 से 19 सितम्बर, 1972 तक आधारी वेतन न देने और इस अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए न करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल० 12012/112/75-डी० 2/ए०]

ORDER

New Delhi, the 24th July 1975

**S.O. 2856.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Lakshmi Commercial Bank Limited, New Delhi and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri K. N. Srivastava shall be the Presiding Officer, with headquarters at Kanpur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Lakshmi Commercial Bank Limited, New Delhi is justified in not paying substantial salary as per Bipartite Settlements to Shri Mahesh Chand Jain, clerk, Ferozabad Branch of the said Bank from 12th November, 1971 to 19th September, 1972 and in not counting this period for purposes of increment? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/112/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

**का० आ० 2857**:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिकरण, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू के प्रबन्धतंत्र की, श्री सुरेश कुमार की सेवाएं 2 फरवरी, 1974 से समाप्त करने की कार्रवाई वैध और न्यायोचित है। यदि नहीं तो वह किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल०-12012/96/74-एल० आर० 3]

ORDER

New Delhi, the 25th July, 1975

**S.O. 2857.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Management of the Punjab National Bank Jammu in terminating the services of Shri Suresh Kumar with effect from 2nd February, 1974 is legal and justified? If not to what relief is he entitled ?

[No. L. 12012/96/74/LRIII]

आदेश

का० आ० 2858—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिकरण, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनिअप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ?

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा के प्रबंधतंत्र का बैंक आफ बड़ौदा कर्मकारिवृन्द संघ के सदस्यों को 31 दिसम्बर, 1974 को उक्त बैंक की टी० नगर शाखा में 15 मिनट और बैंक की अम्बातुर शाखा तथा बैंक के मद्रास स्थित मुख्य कार्यालय में 20 मिनट के लिये मजदूरी न देना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ।

[सं० एल-12012/8/75-डी० 2/ए]

ORDER

**S.O. 2858.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of Baroda was justified in not paying wages to the members of the Bank of Baroda Staff Union for 15 minutes in T. Nagar Branch of the said Bank and for 20 minutes in Ambattur Branch of the said Bank and main office of the Bank at Madras on the 13th December, 1974 ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?

[No. L. 12012/8/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2859—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त धनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या आंचलिक प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली के लिये श्री संकठा प्रसाद को उक्त बैंक की शाहदरा, दिल्ली की शाखा में विद्यमान रिक्ति में स्थायी बिल कलक्टर के रूप में नियोजित न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/64/75-डी० 2 /ए,]

ORDER

**S.O. 2859.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the Zonal Manager, the Central Bank of India New Delhi is justified, in not appointing Shri Sankatha Prasad, as a permanent Bill Collector in the existing vacancy in the branch of the said Bank at Subadra, Delhi ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/64/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 2860—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद कृधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र का श्रीमती नागपाल, रोकड़ लिपिक पर इस पद के लिए उच्चतर विशेष भत्ता लेने के लिये विचार न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/65/75-डी० 2/ए]

ORDER

**S.O. 2860.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of Baroda, New Delhi is justified in not considering Mrs. Nagpal, Cash clerk, for the post drawing higher special allowance ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/65/75/DII/A]

आदेश

का०आ० 2861.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में साउथ इन्डिया बैंक लिमिटेड से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिकरण, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पालनिअप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या साउथ इन्डिया बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, त्रिचूर में के प्रबंधतंत्र की श्री टी० ए० अन्यप्पन, चालक को चपरासी के रूप में पदावनत करने और और उसे उक्त बैंक की चालाकुडी शाखा में तैनात करने की कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/77/75-डी० 2/ए]

ORDER

**S.O. 2861.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the South Indian Bank Limited, Trichur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the South Indian Bank Limited, Head Office, Trichur in reverting Shri T. A. Anthappan, Driver, as a Peon and posting him at Chalakudi Branch of the said Bank is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

**[No. L. 12012/77/75-DII/A]**

आदेश

नई दिल्ली 26 जुलाई, 1975

का०आ० 2861.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड नई दिल्ली से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र का श्री मोहिन्दर लाल खन्ना, लिपिक को 19 जुलाई, 1974 से सेवा से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/74/75-डी० 2 ए०]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 26th July, 1975

**S.O. 2862.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Oriental Bank of Commerce Limited, New Delhi and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Oriental Bank of Commerce Limited, New Delhi, is justified in dismissing from service Shri Mohinder Lal Khanna, Clerk, with effect from the 19th July, 1974 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/74/75-D. II/A]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1975

का०आ० 2863.—भिलाई स्टील प्लाण्ट, हिन्दुस्तान स्टील लि०, भिलाई के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त खदान मजदूर संघ, नन्दिनी माईन्स, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम के लिये निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 6 अगस्त, 1975 को मिला था, प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

के बीच

पक्षकारों के नाम

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री बी० पी० जया कुमार, उप-कार्मिक प्रबन्धक (खान), भिलाई स्टील प्लाण्ट ।

2. श्री आर० पी० सिंह, सहायक कार्मिक प्रबन्धक (औ० सं०), भिलाई स्टील प्लाण्ट ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले: 1. श्री एन० एस० नायर, उपाध्यक्ष, एस० के० एम० एस०, नन्दिनी ।

2. श्री डी० के० राव, सचिव, एस० के० एम० एस०, नन्दिनी ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री एस० के० सान्याल, स्थानिक इंजीनियर, मेकोन, भिलाई के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :

(क) क्या खान प्रधान कार्यालय के डिजाइन और ड्राइंग कर्मचारी-वर्ग, जिन्हें उत्पादन प्रोत्साहन योजना की सीमा से अलग रखा गया है, को वैध रूप से राजहारा और नन्दिनी मैंकेनाइज्ड खानों, की उत्पादन प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है । यदि हां, तो कैसे और किस तारीख से ।

(ख) क्या ओ० एम० क्यू० विभाग के डिजाइन और ड्राइंग कर्मचारी वर्ग का संयन्त्र के डिजाइन और ड्राइंग कर्मचारी वर्ग से पृथकरण न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन का उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है ।

कच्चा लोहा, खान और क्वारीज विभाग के ड्राइंग और डिजाइन कर्मचारी वर्ग के सम्बन्ध में भिलाई स्टील प्लाण्ट, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई-1, जिला दुर्ग (म० प्र०) प्रबन्धतंत्र ।

(iii) श्रमिक का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में अन्तर्ग्रस्त हो, या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो उसका नाम :

संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक से सम्बद्ध), नन्दिनी माईन्स, जिला दुर्ग (म० प्र०) ।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : 4000 (चार हजार)

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या: 32 (बत्तीस)

मध्यस्थ अपना पंचाट तीन मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नये माध्यस्थम् के लिए बातचीत को स्वतन्त्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले : कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :

ह०
ह० (बी०पी० जयाकुमार)
उप-कार्मिक प्रबन्धक (खानें)
ह० (आर० पी० सिंह)
सहायक कार्मिक प्रबन्धक (औ०सं०)

ह०
(एन० एस० नायर)
उपाध्यक्ष

ह०
(डी० के० राव)
सचिव
ए० के० एम० एस०

स्वीकृत

साक्षी:

1. ह०
एन० एन० विश्वास
[सहायक श्र० के० अ०

2. ह०
[अपाठ्य

ह० (एस० के० सान्याल)
स्थानिक इन्जीनियर
मैकोन भिलाई

[संख्या एल-26013/1/75-डी-4 (बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी विशे०

ORDER

New Delhi the 19th August, 1975.

**S.O.2863.**—Whears an industrial dispute exists between the management of Bhilai Steel Plant, Hindustan Steel Limited, Bhilai and their workmen represented by the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Nandini Mines, District Durg (Madhya Pradesh);

And Whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now therefore, in pursuance of the provisions of Sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 6th August, 1975.

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEN

NAMES OF PARTISES :

Representing Employer
1. Shri V.P. Jayakumar, Dy. Personnel Manager (Mines), Bhilai Steel Plant.
2. Shri R. P. Singh, Asstt. Personnel Manager (IR), Bhilai Steel Plant.

Representing workmen
1. Shri N.S. Nair, Vice President, S.K.M.S. Nandini.
2. Shri D.K. Rao, Secretary, S.K.M.S. Nandini.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri S.K. Sanyal, Resident Engineer, NECON, Bhilai.

(i) Specific Matters in Dispute.

(a) Whether the Design and Drawing staff of Mines Head Quarters, who have been excluded from the purview of the Production Incentive Scheme can be legitimately brought within the coverage of the Production Incentive Schemes of Rajhara and Nandini Mechanised Mines. If so, how and from what date ?

(b) Whether the separation of Design and Drawing staff of OMQ Department from the Design and Drawing staff of the Plant was justified? If not, what relief the concerned workmen are entitled to?

(ii) Details of the Parties to the Dispute including the name and Address of the establishment or undertaking involved.
The Management of Bhilai Steel Plant, Hindustan Steel Limited, Bhilai-1, District Durg (M.P.)

in relation to Drawing and Design staff of Ore, Mines and Quarries Department.

(iii) Name of the Workmen in case he himself is involved in the Dispute or the name of Union, If any representing the workmen in question.

The Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, (affiliated to A.I. T.U.C.), Nandini Mines, District Durg (M.P.),

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.

4000 (Four thousand).

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the Dispute.

32 (Thirty Two).

The arbitrator shall make his award within a period of three months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically concelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

SIGNATURE OF THE PARTIES

REPRESENTING EMPLOYER :

Sd/-
(V.P. JAYAKUMAR)
Dy. Personnel Manager (Mines)
sd/-
(R.P. SINGH)
Asstt. Personnel Manager (IR)

REPRESENTING WORK MEN :

Sd/-
(N.S. NAIR)
Vice President
sd/-
(D.K. RAO)
Secretary
SKMS

ACCEPTED
sd/-
(S.K. SANYAL)
Resident Engineer
MECON BHILAI

WITNESSES
1. sd/-
(N.N. BISWAS)
Addl. LWO.
2. sd/-
Illegible.

(No. L-26013/1/75-D-IV(B).

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975